₹ 15

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

# क्रान्ति

अप्रैल 2011



# SHALIMAR

## RESTAURANT



# Special Items

### CHICKEN

- Murg Mumtaz
- Chicken Malaysia
- Jalwa Kabab
- Tiranga Kabab
- Seekh Kabab
- Multani Kaban

### SEA FOOD

- Fish Tandoori
- King Prawns Tandoori
- Fish Angara

### VEG

- Paneer Tikka



### CHICKENS KABABS

- Chicken Tandoori
- Chicken Liver Takka
- Chicken Tikka
- Murg Kohinoor
- Reshmi Kabab
- Sholay Kabab
- Pahadi Kabab
- Khazana Kabab
- Chaurangi Kabab
- Sonali Kabab

Exclusively at : Shalimar Corner, Bhendi Bazar,Mumbai-400003
E-mail : info@shalimargroup.com, www.shalimargroup.com
Tel. : 23456630/34, Fax : 23456629

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

# कान्ति

वर्ष 20 अंक 10 अप्रैल 2011

जो लोग ईमान वाले पुरुषों और ईमान वाली स्त्रियों को, बिना इसके कि उन्होंने कुछ किया हो (आरोप लगाकर), दुख पहुंचाते हैं, उन्होंने तो बड़े मिथ्यारोपण और प्रत्यक्ष गुनाह का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। (क़ुरआन, 33:58)

संपादक

**डॉ० मुहम्मद अहमद**

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

फोन–(011)–26949430

ई मेल kantimasik@gmail.com

**सहयोग राशि**

एक प्रति रु० 15/- विशेषांक रु० 25/-

वार्षिक रु० 160/-

दो वर्ष 300/- पांच वर्ष 700/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–60 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–25 US डॉलर

नोट चेक / ड्राफ्ट 'मासिक कान्ति' के नाम से बनवाएं

# हे करुणानिधान !

प्रशंसित प्रियवर जग-नायक
तरंगित करुणा का सागर सम

प्रतिदान दिवस का सूत्रधार जो
भावी का है वही चितेरा ।

पूजा की अभिलाषा मन की
तेरे ही चरणों में अर्पित

योग-दान की आशा तुझ से
तुझ से आशा संग-साथ की

दिखा हमें वह मार्ग कि जिसको
सहज, सुलभ समरस पथ कहिए

जिसके पथिक प्रिय जन तेरे
कृपा-दृष्टि थी जिन पर तेरी

नहीं प्रकोप के थे वे भागी
नहीं हुए वे पथ से विचलित

जिनका प्रेम नि:श्रान्त अमर था
जिनकी थी रमणीय कहानी ।

● मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां

---

तलब न हो तो कहीं कुछ नज़र नहीं आता
अगर तलब हो वसाइल हज़ार होते हैं

ज़लील करते हैं ख़ुद तबसिरा-निगारों को
वो तबसिरे जो फ़क़त इश्तिहार होते हैं

तिलिस्म टूट रहा है निज़ामे-बातिल का
उजाले आए अंधेरे फ़रार होते हैं

● हफ़ीज़ मेरठी



# कहां क्या है ?


| | | |
|---|---|---|
| हे करुणानिधान ! | –मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां | 3 |
| कुरआन ज्योति | | 5 |
| अल्लाह तआला पर भरोसा (हदीस मंजरी) | | 6 |
| मिथ्यावादी दुर्भावना न पनपाएं (संपादकीय) | | 7 |
| सावधान रहें घिनौने मंसूबों से (आपके पत्र) | | 8 |
| मानवता पर उपकार | –काशीराम चावला | 11 |
| हज़रत हिन्द बिन्त अम्र रज़ि० (नेकी के सिपाही) | –त़ालिब हाशमी | 13 |
| आशा थी चिट्टी आएगी (कविता) | –अभिराम सत्यज्ञ जयशील | 15 |
| काफ़िर और जिहाद | –सुरेन्द्र सिंह कादियाण | 17 |
| परीक्षाओं में सफलता कैसे प्राप्त करें ? (कैरियर) | | 21 |
| आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को ही मिले आरक्षण | –संजय गुप्त | 23 |
| इस्लामी समाज में औरत | –मौलाना अब्दुर्रशीद उस्मानी | 26–27 |
| शिक्षा को धर्माधार प्रदान करने की ज़रूरत (इंटरव्यू) | | 33 |
| क़ातिल (लघुकथा) | –मुहम्मद चांद | 37 |
| सहानुभूतिपरक हत्या का औचित्य | –शकीलुर्रहमान | 39 |
| दोहरी फांस (कहानी) | –डॉ० परमलाल गुप्त | 45 |
| यथार्थ की संवेदनशील अभिव्यक्तियां (पुस्तक-समीक्षा) | –डॉ० इसाक़ अश्क़ | 49 |

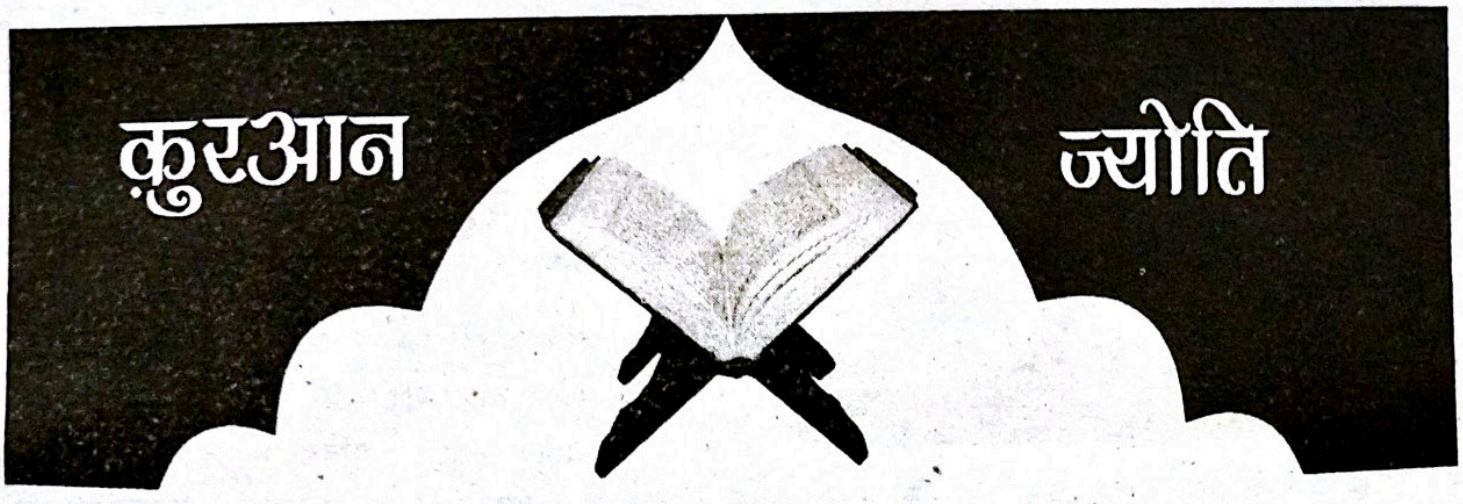


**(9) और वह अवसर जबकि तुम अपने प्रभु से फ़रियाद कर रहे थे । उत्तर में उसने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए लगातार एक हज़ार फ़रिश्ते भेज रहा हूं । (10) यह बात अल्लाह ने तुम्हें केवल इसलिए बता दी कि तुम्हारे लिए शुभ सूचना हो और तुम्हारे हृदय इससे संतुष्ट हो जाएं, अन्यथा मदद तो जब भी होती है अल्लाह ही की ओर से होती है । निस्संदेह अल्लाह अत्यंत प्रभावशील और तत्वदर्शी है । (11) और वह समय जबकि अल्लाह अपनी ओर से तुम पर सन्तोष और निर्भयता की दशा तारी कर रहा था[8] और आसमान से तुम्हारी ऊपर पानी बरसा रहा था, ताकि तुम्हें पाक करे और तुमसे शैतान की डाली हुई गन्दगी दूर करे और तुम्हारी हिम्मत बंधाये और इसके द्वारा तुम्हारे क़दम जमा दे ।[9]**

**(12) और वह समय जबकि तुम्हारा रब फ़रिश्तों को इशारा कर रहा था कि "मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम ईमान वालों को जमाये रखो, मैं अभी इन काफ़िरों ( विरोधियों ) के दिलों में रौब डाले देता हूं, तो तुम उनकी गर्दनों पर मारो और जोड़-जोड़ पर चोट लगाओ ।"[10] –क़ुरआन, 8 : 9-12**

---

8. यही अनुभव मुसलमानों की उहुद की लड़ाई में भी हुआ था, जैसा कि (क़ुरआन की सूरह 3) आले-इमरान आयत 154 में गुज़र चुका है, और दोनों अवसरों पर कारण वही एक था कि जो अवसर तीव्र भय और घबराहट का था उस समय अल्लाह ने मुसलमानों के दिलों को ऐसे संतोष से भर दिया कि उन पर ऊंघ छाने लगी ।

9. यह उस रात की घटना है जिसकी सुबह को बद्र की लड़ाई हुई । उस वर्षा के तीन लाभ हुए–एक यह कि मुसलमानों को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल गया और उन्होंने तुरन्त हौज़ बना-बनाकर वर्षा का पानी रोक लिया । दूसरे यह कि मुसलमान चूंकि घाटी के ऊपरी भाग पर थे, इसलिए वर्षा की वजह से रेत जम गयी और ज़मीन इतनी मज़बूत हो गयी कि क़दम अच्छी तरह जम सकें और चलत-फिरत सुविधापूर्वक हो सके । तीसरे यह कि दुश्मनों की सेना नीचे की ओर थी, इसलिए वहां इस वर्षा के कारण कीचड़ हो गयी और पांव धंसने लगे ।

'शैतान की डाली हुई गन्दगी' से तात्पर्य वह भय और घबराहट की स्थिति थी जिसके शुरू-शुरू में मुसलमान शिकार हो गये थे ।

10. जो सैद्धांतिक बातें हमें क़ुरआन से मालूम हुई हैं, उनके आधार पर हम यह समझते हैं कि फ़रिश्तों से युद्ध में यह काम नहीं लिया गया होगा कि वे स्वयं लड़ने-मारने का काम करें, बल्कि शायद उसकी शक्ल यह होगी कि दुश्मनों पर जो चोट मुसलमान लगाएं, वह फ़रिश्तों की सहायता से निशाने पर ठीक बैठे और गहरी लगे । (अल्लाह ही बेहतर जानता है ।)

**पवित्र क़ुरआन**
**को इंटरनेट पर पढ़िए**
**www.quranhindi.com**




# अल्लाह तआला पर भरोसा

● हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस (रज़ि॰) कहते हैं कि एक व्यक्ति ने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) से पूछा : इस्लाम में कौन-सी चीज़ सबसे श्रेष्ठ है ? आपने कहा : ''खाना खिलाना और सलाम करना उसे जिसको तुम जानते हो और उसे भी जिसको तुम नहीं जानते ।'' –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू उमामह सुदै बिन अजलान (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : ''ऐ आदम के बेटे तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी आवश्यकता से जो अधिक माल हो उसे (अल्लाह की राह में) ख़र्च करो, तो यह तुम्हारे लिए अच्छा है और यदि तुम उसे रोकोगे तो यह तुम्हारे लिए बुरा है । आवश्यकता के अनुसार अपने पास माल रखने में तुम निदिंत नहीं ठहराए जाओगे और (ख़र्च करना) आरंभ करो उनसे जो तुम पर आश्रित हैं । और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अच्छा है ।'' –मुस्लिम

● हज़रत अबू कबसह उमर बिन साअद अल-अनमारी (रज़ि॰) से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को यह कहते हुए सुना : ''तीन चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मैं क़सम खाता हूं और उसे भली-भांति याद रखो जो मैं तुम्हें बताता हूं : सदक़ा से किसी बन्दे का माल कम नहीं होता, जिस बन्दे पर ज़ुल्म किया जाए और वह उस पर सब्र करे, तो अल्लाह इससे उसकी इज़्ज़त (सम्मान) ही बढ़ाता है, और जो बन्दा अपने लिए (भीख) मांगने का द्वार खोलता है, तो अवश्य ही अल्लाह उस पर दरिद्रता का द्वार खोल देता है । (या आपने इसी तरह के कुछ अन्य शब्द प्रयोग किये) और मैं तुमको जो कहता हूं उसे अच्छी तरह याद रखो ।''

(आपने कहा) : दुनिया में लोग चार प्रकार के होते हैं : एक वह बन्दा जिसको अल्लाह तआला ने माल और ज्ञान दिया हो वह इसके प्रति अल्लाह का भय रखता हो । वह इसमें नाते-रिश्ते को भी जोड़ता है और इसमें अल्लाह का भी हक़ पहचानता है । ऐसा व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ दर्जे पर है । और एक वह बन्दा है जिसको अल्लाह ने ज्ञान दिया लेकिन उसे माल नहीं दिया और वह नीयत का सच्चा है, वह कहता है कि अगर मेरे पास माल होता, तो मैं फलां व्यक्ति की तरह काम करता । अतः वह अपनी नीयत के साथ है और पहले व्यक्ति और इस दूसरे व्यक्ति के लिए समान प्रतिदान मिलेगा ।

और एक बन्दा वह है जिसको अल्लाह ने माल दिया लेकिन उसे ज्ञान नहीं दिया, तो वह ज्ञान के बिना अपने माल में गड़बड़ करता है, उसके सिलसिले में अल्लाह का भय नहीं रखता और वह उससे न तो नाते-रिश्ते को जोड़ता है और न उसमें अल्लाह का कोई हक़ पहचानता है । ऐसा व्यक्ति सबसे बुरे दर्जे पर है । और एक बन्दा वह है जिसे अल्लाह ने न तो माल दिया और न ज्ञान दिया और वह कहता है कि यदि मेरे पास माल हो, तो मैं भी फ़लां (अति सुखभोगी) व्यक्ति की तरह काम करता । यह है उसकी नीयत, तो ये दोनों गुनाह में बराबर होंगे ।

–तिरमिज़ी । तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस 'हसन सहीह' है ।

(रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय
हिन्दी वेबसाइटें
www.islamdharma.org
www.islamicwebdunia.com
www.islamic-videos.com

संपादकीय

# मिथ्यावादी दुर्भावना न पनपाएं

हमारे देश में मत-मतांतरों और विचार-केन्द्रों की भरमार है । इसे इसकी एक बड़ी विशेषता के रूप में जाना जाता है । इन वैचारिक केन्द्रों के संस्थागत और असंस्थागत दोनों रूप पाये जाते हैं । इनकी 'भूमिकाएं' स्वाभावत: अलग-अलग हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे हैं, जो समयानुसार बदलते रहते हैं । कभी सकारात्मक पक्ष के, तो कभी नकारात्मक पक्ष के 'धनी' हो जाते हैं । कभी आत्मप्रचार करते हैं, कभी विचार-प्रचार तो कभी भ्रष्टाचार । सभी जानते हैं कि दुष्प्रचार मानव-समाज के लिए बहुत हानिकारक और घातक होता है । अगर यह दुष्प्रचार किसी समुदाय या वैचारिक समूह के विरुद्ध है तो सर्वथा हानिकारक सिद्ध होकर रहता है । इससे समाज में विभिन्न प्रकार की व्याधियां और विकार जन्म लेते और परवान चढ़ते रहते हैं, लेकिन सामान्यत: दुष्प्रचारक को इसकी कोई परवाह नहीं होती । वह अपने आप में खोया दुष्प्रचार में लीन रहता है । उसके कर्म से मानवता का हित हो या अहित, उसकी दृष्टि में दोनों समान रहते हैं । 'सत्य भक्तों' का विचार-दृष्टिकोण सत्य की ओर कितना है, उनकी पत्रिका 'सत्य भक्त भावना' (मार्च 2010 अंक) के अंक में इस पर ज़रूर कुछ प्रकाश पड़ता है । 'सार्वदेशिक सत्य समाज' एक सम्प्रदाय है, जिसकी उक्त मासिक मुख पत्रिका है । यह उज्जैन से छपती और नागदा जं॰ से प्रकाशित होती है ।

इस पत्रिका के पृष्ठ 23 पर शांत प्रकाश सत्यदास का 'वे कहते हैं, हम कहते हैं' स्तंभ है, जिसमें 'पैग़म्बर मुहम्मद के सन्देश' उपशीर्षक से जितनी बातें कही गयी हैं, उनमें से अधिकांश नितांत ग़लत, भ्रामक, मनगढ़ंत और आधारहीन हैं । कुछ हिस्सों को देखिए--क्रमांक । में कहा गया है कि अल्लाह ने मुझ से बार-बार कहलाया है कि 'अरबी कुरान (कुरआन) हमने तुम्हारी तरफ़ नाज़िल किया है, ताकि तुम मक्के में रहने वालों को और जो लोग मक्के के आसपास बसते हैं, उनको पाप से डराओ' (अश-शूरा)। मैं सारी दुनिया के लिए भेजा ही नहीं गया यह बात याद रखें ।--कितनी भ्रांतिकारी और ग़लत बात लेखक ने लिख दी है !? अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की शिक्षाएं किसी विशेष भू-क्षेत्र के लिए ही कदापि नहीं हैं, बल्कि सारी दुनिया के इन्सानों के लिए हैं । पवित्र कुरआन में आपको 'रहमतुल्लिल आलमीन' (सारे संसार के लिए रहमत-दयानिधि) कहा गया है और बहुत-सी आयतों में सारे इन्सानों को प्रत्यक्षत: संबोधित किया गया है । जहां तक बात मक्का की है, तो यह संसार के मध्य में स्थित है और उसके चतुर्दिक से अभिप्रेत सारी दुनिया है । पवित्र कुरआन के शब्दों-वाक्यों में बड़ी व्यापकता, अर्थ-अभिप्राय प्रवणता पायी जाती है जिसे अरबी भाषा का अच्छा जानकार ही समझ सकता है । सत्यदास जी यह भी लिख देते हैं कि 'हज़रत राम, हज़रत कृष्ण, हज़रत महावीर, हज़रत बुद्ध, हज़रत ईसा वग़ैरह सबका अदब करें (क्रमांक 3)।'

यह भी दुराग्रह और धृष्टतापूर्ण वाक्य है । हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने नबियों और पैग़म्बरों का आदर करने की तो शिक्षा दी है, लेकिन राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध का नामोल्लेख नहीं किया है । इसी प्रकार सत्यदास जी यह फ़रमाते हैं कि 'बुतपरस्ती न करें'। यह बात ठीक है, लेकिन देखिए वे आगे क्या लिखते हैं, 'परन्तु बुत या तस्वीर को किताब की तरह या यादगार की तरह इस्तेमाल करना हो तो अवश्य करें, ख़ासकर मुहब्बत बढ़ाने के लिए तो ज़रूर करें (क्रमांक 4)। हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की यह शिक्षा कदापि नहीं है । यह आपकी

(शेष पृष्ठ 15 पर)

# सावधान रहें घिनौने मंसूबों से

इस्लाम धर्म परमात्मा के द्वारा दिया गया संदेश है जो कुरआन के रूप में अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के ऊपर अवतरित हुआ। आप (सल्ल॰) ने ख़ुदा के हुक्म के अनुसार अमल करते हुए अपनी पूर्ण ज़िन्दगी गुज़ारी अर्थात अल्लाह का आदेश (वाणी) और आप (सल्ल॰) की अमली ज़िन्दगी मिलकर ही इस्लाम धर्म की परिपूर्णता होती है।

इस्लाम धर्म (प्राकृतिक धर्म) अल्लाह का भेजा हुआ सच्चा धर्म है, जिसके अंतर्गत मानव अपने जीवन के तमाम पहलुओं-सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक आदि में सफलता प्राप्त कर सकता है। आदमी की पैदाइश से लेकर मृत्यु तक की व्यवस्था आदि का पूर्णरूपेण मार्गदर्शन दिया गया है जिसे अंग्रेज़ी में वे ऑफ़ लाइफ़ (जीवन पद्धति) यानी जीवन बिताने का उत्तम तरीक़ा भी कहा गया है। हमारा देश हिन्दुस्तान सदैव से सांस्कृतिक देश रहा है। परदे में रहना (घूंघट) यह हमारे देश की प्राचीनतम परम्परा एवं सभ्यता रही है जिसका कल्चर पूरी दुनिया में मर्यादित है। जहां माताएं, बहुएं, बेटियां परदे में रहकर अपने को सुरक्षित एवं सभ्य कहलाती हैं और अपने गृह कार्यों को दक्षतापूर्वक अंजाम देती रही हैं। अपने मान-सम्मान का ख़याल रखती है एवं अपने बाल-बच्चों को शिक्षा-दीक्षा में काफ़ी सहयोग करती हैं, आदि।

कुरआन मजीद में है-"ऐ नबी अपनी बीवियों और बेटियों और ईमान वाली औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें यह अधिक उत्तम तरीक़ा है, ताकि वे पहचान ली जाएं और न सतायी जाएं। अल्लाह क्षमा करने वाला और दया करने वाला है और जिन लोगों ने हमारी आयतों को नीचा दिखाने के लिए ज़ोर लगाया है उनके लिए सबसे बुरे क़िस्म का दर्दनाक अज़ाब है।"

(कुरआन, 33:59)

कपड़ा ढीला-ढाला होना चाहिए ताकि शरीर के किसी अंग का उभार मालूम न हो सके। मर्द औरत के कपड़े न पहनें और औरत मर्द के कपड़े न पहनें। कपड़े इतने चटकीले, चमकदार और आकर्षक न हों जो दूसरों को मुतास्सिर कर सकें, आदि।

आज हमारा देश पाश्चात्य सभ्यता (पश्चिमी सभ्यता) में लिप्त होता जा रहा है। इसमें पश्चिमी देशों की बहुत बड़ी साज़िश है जिसके चलते यह कुरीति पनप रही है। पहले लोग अपने तन को ढकने को अपनी इज़्ज़त (सम्मान) और बड़कपन समझते थे, आज अपने आपको अर्धनग्न यानी कम वस्त्र को समाज में हैसियत वाला और स्टैंडर्ड समझते हैं। आज के परिवेश में जो कपड़े इस्तेमाल किये जाते हैं वह परदे के नियमों के बिल्कुल विपरीत है और नग्नता-अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले हैं। ये सारी बुराइयां पश्चिमी देशों की देन हैं।

मिसाल के तौर पर खान-पान की व्यवस्था को ही ले लीजिए, पुरानी परम्परा के अनुसार लोग बाक़ायदा चटायी बिछाकर, दस्तरख़ान पर बैठकर भोजन करते कराते थे। सभ्यता और परिवेश के बदलते दौर में कुर्सी-टेबल पर भोजन खाने-खिलाने की व्यवस्था की गयी। लेकिन आज के परिवेश का यह आलम है कि शादियों में, पार्टियों एवं दावत के शुभ अवसरों पर बफे सिस्टम यानी खड़े होकर खाने की व्यवस्था की गयी है।

आदमी स्वयं खाना निकालकर खड़े होकर या घूम-घूमकर खाते रहे हैं। मर्द, औरत, लड़के-लड़कियां सभी एक साथ शरीक होकर खाते हैं। शादी पार्टियों में तो अक्सर देखा जाता है कि लोग नशे की हालत में खाना खाते-खाते डांस करने लगते हैं।

इस व्यवस्था (बफे सिस्टम) को अगर देहाती भाषा में "कुक्कुर भोज" कहा जाए तो कोई बेजा न होगा। जो रहन-सहन पहले अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे देशों में था आज यह हमारे देश का कल्चर बनता जा रहा है और इसी की आड़ में कई बुराइयां पनप रही हैं। टी॰वी॰ चैनलों के माध्यमों से इसका ज़ोरदार प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। दिन दूनी रात चौगुनी बुराइयों में बढ़ोतरी होती जा रही है।

जगह-जगह क्लब खोलकर खुल्लम-खुल्ला अश्लीलता और कदाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सब बुराइयों

को रोकने के लिए जब यहां के नवजवान ने, ख़ासतौर पर मुसलमान नवजवानों ने विरोध करना शुरू किया तो उनको जिहादी, कट्टरपंथी, आतंकवादी जैसे नामों से बदनाम करके उन पर आरोप लगाकर इस्लाम के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार किया जा रहा है ।

इस तरह का प्रोपेगैंडा करना एवं तोहमत लगाना मुख्य रूप से अमेरिका और इसराईल की साज़िशें हैं । अमेरिका की खुफ़िया एजेंसी सी०आई०ए० तथा इसराईल की खुफ़िया एजेंसी "मोसाद" इस कार्य को पूरी तरह बढ़ावा दे रही है । इन्हीं के हाथों में मीडिया का पूरा-पूरा प्रचार-प्रसार है जिसके माध्यम से वे सही बात (इस्लामी सोच) लोगों तक नहीं आने देते बल्कि तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं । चूंकि मीडिया इनके हाथ में है जैसा चाहते हैं प्रचार-प्रसार करवाते हैं । ये पूंजीपति देश है जिसके बदौलत अन्य मीडिया एजेंसियों को बिल्कुल पैसा के बल पर अपने क़ब्ज़े में लिए हुए हैं । विश्व में इन्हीं की दादागीरी चल रही है ।

मीडिया एजेंसियों के माध्यम से अपने देश हिन्दुस्तान के बिगड़े हुए जाहिल लोगों को भी भारी रक़में देकर उनको ग़लत कार्यों के लिए उकसाया जाता है । प्राय: कहीं न कहीं बम ब्लास्ट आतंकी हरकतें करवाया जा रहा है और फिर उसे आतंकवादी, उपद्रवी का रूप पेश किया जा रहा है । वे इस्लाम को दुनिया से मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं । वे चाहते हैं कि ये मुसलमान भी बने रहें और इस्लाम से दूर भी रहें । इनका इस तरह का रवैया पहले से ही रहा है ।

आज विदेशों में तेल कंपनियों से लेकर अन्य आय के स्रोतों पर इनका ही पूरी तरह क़ब्ज़ा है जिसके कारण ये मालामाल हैं और अन्य देशों पर अपना रोब जमा कर यहां की संस्कृति और सभ्यता में बदलाव करने की इनकी कोशिश जारी है । जिस देश की संस्कृति एवं सभ्यता का विलोप हो जाता है वह देश बिल्कुल जड़ से उखड़ जाता है । इन साज़िशों से हमें सावधान रहना चाहिए और हर परिस्थिति में आपसी भाईचारा और सौहार्द रखना चाहिए । जो लोग देश में विघटन पैदा करना चाहते हैं, फ़िला फैलाकर तबाही के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं । उनके घिनौने मंसूबों से सावधान रहने की ज़रूरत है ।

**श्याम नारायण चौहान**
ग्राम-विशुनपुरा, पोस्ट-मथेला,
ज़िला-चन्दौली (उ०प्र०)

## मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन

'कान्ति' मासिक पत्रिका फ़रवरी 2011 का अंक का मैंने सरसरी निगाह से अध्ययन किया । यह अंक ज्ञान प्रस्फुटित करने वाला आध्यात्मिक छाप व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का आकर्षक दृष्टिकोण था ।

'विकसित पूंजीवादी देश और मानवाधिकार' विशेष आयोजन के अंतर्गत मैंने यह पाया कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि थे विकसित पूंजीवादी देश मानवाधिकारों की लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, सैद्धांतिक रूप में ये उपरोक्त विकसित देश मानवाधिकारों के सबसे बड़े संरक्षक बने हुए हैं । 24 अक्तूबर 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकारों के चार्टर का इन राष्ट्रों के द्वारा खुला उल्लंघन हो रहा है । पूंजीवादी देशों ने तानाशाहों, नस्ल एवं रंगभेद समर्थक सरकारों का समर्थन किया । जबकि इनका प्रमुख उद्देश्य यही है कि युवाओं को धर्म व जातिवाद, वर्गवाद, भाषावाद आदि के बजाय वर्तमान में उत्पन्न आतंकवाद, पर्यावरण असंतुलन जैसी समस्याओं के समाधान के लिए आध्यात्मिक रुचि पैदा करना है । इसी अंक में अर्थ उपभोक्ता के अंतर्गत डॉ० विनोद गुप्ता द्वारा रचित 'ऐसे परखें मिलावटी चीज़ों को' मैंने पढ़ा तथा ज्ञान प्राप्त किया कि कैसे चीज़ों में मिलावट की रोकथाम की जा सकती है तथा उपभोक्ता को आवश्यक वस्तुएं शुद्ध प्राप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए काली मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हींग, दालें आदि । यह आलेख बड़ा ही मार्मिक लगा ।

**रामस्वरूप झंवर**
भीलवाड़ा (राज०)

## गागर में सागर

'कान्ति' मासिक दिसम्बर 10-जनवरी 11 (संयुक्तांक) का संपादकीय पढ़ा । जानकारी हासिल हुई । अंक काफ़ी अच्छा बन पड़ा है तथा गागर में सागर भरने के समान है । मैं इस अंक को पढ़कर काफ़ी प्रभावित हुआ हूं । और मुझे आगे चलकर उम्मीद है आने वाले समय में आपकी यह पत्रिका दिन दूनी रात चौगुनी तरक़्क़ी करते हुए आकाश में सूरज के समान चमकेगी तथा आपकी कीर्ति को चार चांद लगाकर संसार में अपनी अहमियत को रोशन करेगी । मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि 'कान्ति' आगे चलकर मील का पत्थर साबित होगी ।

**आनन्द कुमार गुप्ता**
महादेव नगर, हवा सड़क, 22 गोदाम, जयपुर (राज०)

## सबक़आमोज़

'कान्ति' का फ़रवरी 2011 अंक पढ़ा । 'कान्ति' हमेशा की तरह इस्लाम के बारे में नयी-नयी जानकारियां देती है । 'अंग्रेज और कर्नाटक के नवाब' अच्छा आलेख था । 'हदीस मंजरी' में 'मांगने से बचना' अच्छी सबक़आमेज़ है । अब इसी तरह इस्लाम की रोशनी को ताज़िन्दगी क़ायम रखिएगा ।

**शराफ़त अली ख़ान**
बरेली (उ०प्र०)

## दंडनीय क्यों नहीं ?

सह शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं में सीमा से अधिक नैतिक पतन के कारण विश्वविद्यालय अनैतिक आचरणों का केन्द्र बन रहे हैं । इस संबंध में सर्वेक्षण बताते हैं कि वहां एक प्रतिशत भी ऐसी छात्राएं नहीं रहीं, जिनका कोई ब्वॉय फ्रेंड न हो, उनमें 85 प्रतिशत छात्राएं तो 3-5 माह के बीच ही अपने ब्वॉय फ्रेंड को बदलने में विश्वास रखती हैं ।

इस प्रकार प्रेम प्रसंग अब लुके-छुपे नहीं, अश्लील कृत्यों के साथ खुलेआम चल रहे हैं । इन्हीं प्रेम प्रसंगों के दुष्परिणामस्वरूप नागपुर मेडिकल कालेज के छात्रावास में एक आत्महत्या की दुखद घटना हुई । यह 'प्राची आत्महत्या प्रकरण' के नाम से सामने आयी । यह घटना निम्न ओर ध्यान दिलाती है--सांवाद माध्यम के अनुसार यह प्रेम प्रसंग विगत 8 माह से चल रहा था । संभवत: इस प्रकरण की पूरी जानकारी कॉलेज तथा छात्रावास के प्रबंधन के अतिरिक्त अध्यापकों एवं मित्रों को भी रही होगी । विद्यालय ने शैक्षणिक कार्य छोड़ अनैतिक आचरणों में लिप्त लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्ख़ास्त क्यों नहीं किया ? मृत छात्रा तथा उसके मित्र, अध्यापक तथा प्रबंधन विभाग भी धारा 306 के आरोप में फ़रार आरोपी के साथ किसी न किसी प्रकार से आरोपी बनते हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र तथा निगरानी में यह प्रकरण हुआ । अत: रैगिंग की रोकथाम की तर्ज़ पर बढ़ती अनैतिक प्रेम घटनाओं पर अंकुश लगानें हेतु क़ानून बनाया जाए और इसे दंडनीय अपराध ठहराया जाए ।

**मलिक**
नागपुर

## मुबारकबाद

आपकी मैगज़ीन नियमित रूप से मिल रही है । माशा अल्लाह हर नंबर अपने आप में एक अलग मिसाल होता है । जो भी विषय आप छू रहे हैं, उनकी गहराई तक आप पहुंचते हैं और आपकी बात सीधे पाठकों के दिलों तक उतरती है । मेरी तरफ़ से मुबारकबाद ।

**इकराम राजस्थानी**
जयपुर, राजस्थान

## धन्यवाद !

'कान्ति' का अक्तूबर 2010 अंक पढ़ा । अच्छा लगा । बहुत-बहुत धन्यवाद !

**मंडल विजय**
भुवनेश्वर, उड़ीसा

## पठनीय

'कान्ति' के अंक उम्मीद से ज़्यादा अच्छे और पठनीय हैं ।

**संतोष कुमार**
आज़ाद मार्केट, दिल्ली-6

## हत्यारे

हत्यारे
जो परमाणु सम्पन्न हैं
वे नाराज़ हैं उन
हत्यारों से जो एके-56 और 47
चलाते हैं, बारूद से लोगों को उड़ाते हैं
वे इन्हें टेरेरिस्ट
कहते हैं
उनका मानना है जो हथियार
हमसे ख़रीदे
उन्हें इस्तेमाल भी
हमारे अनुसार करें
चूंकि आतंकवादी
ऐसा नहीं कर रहे हैं
सो बड़े हत्यारे नाराज़ हैं
वे इनका समूल नाश भी
नहीं कर सकते
फिर वे हथियार
किसे बेचेंगे ?

**देवेन्द्र कुमार मिश्रा**
चन्दनगांव, छिन्दवाड़ा (म०प्र०)

## ज्ञानवर्धक

'कान्ति' मासिक की सामग्री ज्ञानवर्धक रहती है ।

**चन्दूलाल दुबे**
संपादक 'भारतवाणी'
द० भारत हिन्दी प्रचार सभा, कर्नाटक, धारवाड

# मानवता पर उपकार

■ कांशीराम चावला

एक अवसर पर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने कहा, "एक व्यक्ति के तुच्छ होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वह अपने दूसरे भाई को अपने से तुच्छ समझता हो।"

क़ुरआन में है कि जाति और क़बीले का अन्तर केवल पहचान के लिए है। कोई न पैदाइशी तौर पर पतित है और न पैदाइशी तौर पर प्रतिष्ठावान। यहां प्रतिष्ठा ख़ानदान और नस्ल से नहीं, अच्छे कर्म से मिलती है। अत: मानव-समाज में न कोई छोटा है और न अछूत है, न बड़ा। न कोई प्रतिष्ठा का पात्र है और न कोई घृणा का। यहां सब बराबर और एक समान हैं। इस्लामी समाज का नारा है–

"केवल ईश्वर बड़ा है, बाक़ी सब बराबर हैं। धन सम्पत्ति, ज़ात-बिरादरी किसी आधार पर किसी को कोई प्रधानता नहीं।"

आप (सल्ल०) ने औरतों को समान और प्रतिष्ठा के समान स्तर पर लाकर बिठाया और मर्दों के साथ-साथ औरतों को भी तमाम सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकार प्रदान किये। आपसे पूर्व अरब तथा दुनिया के अन्य देशों में औरतों की दशा काफ़ी दयनीय थी। आप (सल्ल०) ने बेटी की पैदाइश को शुभ बताया। औरतों के सम्मान की शिक्षा दी। ऐसा क्यों न हो, औरत का हर रूप सुन्दर और पवित्र जो है। औरत मां है, औरत बहन है, औरत पत्नी है, औरत बेटी है, औरत ही की कोख से मानवता जन्मी है। फिर इस औरत का अनादर मानवता का अनादर है।

आज औरतों की आज़ादी के नाम पर उनके साथ जिस रूप में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज औरत को नंगा नचवाया जाता है। उसके जिस्म की नुमाइश की जाती है। आधुनिकता के नाम पर उसका व्यापार किया जाता है। चन्द पैसों के बदले उसकी इज़्ज़त लूटी जाती है। उसे दफ़्तरों, होटलों और क्लबों में अपने नारीत्व का व्यापार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है और आज की औरत आधुनिकता और फ़ैशन के नाम पर यह सब कुछ ख़ुशी-ख़ुशी सहन कर लेती है। वह बिना किसी सामाजिक उत्तरदायित्व के अपना जिस्म दूसरों के हवाले कर देती है। हां, वह कभी-कभी चीखती है, जब कोई उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। आधुनिक औरत आज़ादी के नाम पर भी ग़ुलाम हो गयी है। वह एक मर्द की अपेक्षा डेढ़ गुना और दो गुना अधिक काम करती है। मर्द उसके प्राकृतिक कार्यों में से किसी एक में भी भागीदार नहीं होता। लेकिन औरत अपने कार्य के अतिरिक्त मर्दों का कार्य भी करती है। फिर भी उसे मर्दों के बराबर मज़दूरी नहीं दी जाती।

आज इस्लाम द्वारा चार शादियों की अनुमति और औरतों के पर्दे के हुक्म पर बहुत शोर मचाया जाता है, परन्तु हर घर को वेश्यालय बनने से रोकने की कोई चिंता नहीं की जाती। भारतीय समाज में बेटी का जन्म एक अभिशाप समझा जाता है और अब तो दिन-दहाड़े नव-विवाहिता को जला दिया जाता है। आप (सल्ल०) ने औरतों पर होने वाले इन सभी अत्याचारों को समाप्त किया। आप (सल्ल०) ने कहा–

"जिसको ईश्वर ने तीन बेटी दी या उससे अधिक दी या एक कथन के अनुसार दो बेटी दी और उसने उनका सही तौर पर लालन-पालन किया तथा उनको अच्छी शिक्षा-दीक्षा दी और उनके बालिग़ होने पर उनकी शादी कर दी तो जन्नत में वह व्यक्ति और मैं एक-दूसरे के समीप होंगे।"

इस हदीस के उल्लेखकर्ता की उक्ति यह है कि अगर आप से एक बेटी के बारे में पूछा ज़ाता तो भी आप यही कहते। आपका मशहूर कथन है–"जन्नत मां के क़दमों के नीचे है।" आप (सल्ल०) ने पत्नियों के प्रति अच्छे व्यवहार की शिक्षा दी और कहा–"तुम में सबसे अच्छा आदमी वह है, जो अपने घर के लिए अच्छा हो और मैं तुम में सबसे अच्छा हूं क्योंकि मैं अपने घर-परिवार के लिए तुम सबसे अच्छा हूं।"

आपने पराई औरतों को बुरी नज़र से देखने से मना किया और औरतों के साथ ज़िना (व्यभिचार) को जघन्य अपराध घोषित किया। जो व्यक्ति किसी औरत की इज़्ज़त लूटता है, अगर वह शादीशुदा है तो इतने पत्थर मारने का

आदेश है कि वह मर जाए और अगर ग़ैर-शादीशुदा है तो उसे सौ कोड़े मारने का आदेश है । इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति किसी मर्द या औरत पर झूठा लांछन लगाता है, तो उसे अस्सी कोड़े मारने का आदेश है । इस्लाम में औरत कोई बेजुबान जानवर की तरह नहीं है कि चाहे उनके साथ जैसा व्यवहार किया जाए, वह जिस मर्द के साथ बांधी गयी है, उससे कभी छुटकारा नहीं पा सकती । जिस प्रकार मर्दों को तलाक़ का अधिकार है, उसी तरह औरतों को ''खुलअ'' के माध्यम से छुटकारा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है । मुझे कोई न्यायसंगत रूप से बताए, क्या यह जुल्म है ? हज़रत ख़दीजा (रज़ि०) पहली महिला हैं, जो सबसे पहले आप (सल्ल०) पर ईमान लायीं ।

आप (सल्ल०) की केवल चार बेटियां थीं । आपका कोई बेटा जीवित नहीं रहा । इससे भी औरत का दर्जा बढ़ा है । इन सबका नतीजा यह है कि आज मुस्लिम समाज में औरत को जो प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त है, वह विश्व के किसी समुदाय में प्राप्त नहीं है ।

आपने मज़दूरों के हितों की रक्षा की और समाज के कमज़ोर और निर्बल वर्ग को सहायता और समर्थन प्रदान किया । आपने कहा–

''मज़दूरों को उनकी मज़दूरी पसीना सूखने से पहले अदा कर दो ।''

आपने कहा–''जो कोई मज़दूर से काम कराने के बाद उचित मज़दूरी नहीं देता, मैं ईश्वर के यहां उसके विरुद्ध वकील बनूंगा ।''

उचित मज़दूरी का अभिप्राय यह है कि राष्ट्र के सामान्य जीवन स्तर के अनुसार एक साधारण मज़दूर का जीवन स्तर अवश्य होना चाहिए । आप (सल्ल०) ने व्यापारिक कार्यों में मज़दूरों को साझी बनाने का आह्वान किया और मज़दूरों को भी ईमानदारी तथा निष्ठा के साथ अपने कार्य सम्पादन का आदेश दिया । आप (सल्ल०) ने गुलामी प्रथा का उन्मूलन किया । गुलामों को आज़ाद करने के लिए लोगों को उभारा । उन्हें समानता प्रदान की ।

आप (सल्ल०) ने महाजनी प्रथा को समाप्त कर दिया । सूद को वर्जित ठहराया, शोषण-चक्र को बिल्कुल रोक दिया और सामाजिक सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किये । आप (सल्ल०) ने समाज़ से व्यभिचार, भ्रष्टाचार, कुरीतियों और अशांति को दूर किया । आपने शराब, जुआ और सट्टे पर प्रतिबंध लगाया । रातों-रात धनवान बनने की लालसा पर रोक लगायी । जमाख़ोरी, चोर-बाज़ारी, मिलावट, कम तौलना, झूठ बोलकर ख़राब माल बेचना इत्यादि को रोक दिया ।

## आदर्श सामाजिक ढांचा

आपने जिस समाज का निर्माण किया उसमें बड़ों की प्रतिष्ठा, छोटे से प्रेम, कमज़ोरों के प्रति सहानुभूति, बच्चों से प्यार, स्त्रियों का सम्मान, गुलामों को बराबरी, मज़दूरों के साथ उचित व्यवहार, क़ानून के प्रति जागरूकता और अन्याय के प्रति घृणा का वातावरण उत्पन्न हुआ । इस तरह दस साल के अन्दर आप (सल्ल०) ने मदीना में ऐसे आधुनिक इस्लामी समाज का निर्माण किया और एक ऐसे नमूने की शासन-व्यवस्था की आधारशिला रखी, जिसके आधार पर आज बड़ी आसानी से आधुनिक युग का निर्माण किया जा सकता है । ज्ञान और विज्ञान की प्रगति तथा तकनीकी विकास के कारण इस्लामी आदर्शों और शिक्षाओं का महत्व और भी बढ़ गया है । आप (सल्ल०) ने जिस समाज का गठन किया वह वर्ग-संघर्ष से मुक्त, सहनशीलता, पारस्परिक सम्मान, सहानुभूति और सहयोग का समाज था । किसी भी समाज के विकास के लिए ये अनिवार्य तत्व हैं । अगर हम आगें बढ़ना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, तो हमें इन आदर्शों को अपनाना होगा और इन शिक्षाओं का अनुकरण करना होगा । जब आप 23 वर्ष के संघर्षपूर्ण जीवन के बाद व्यावहारिक रूप से इस्लामी समाज की स्थापना करके 63 वर्ष की आयु में अपने ईश्वर से मिलने जाने लगे, तो आपने अपने सहयोगियों से कहा–

''मैं तुम्हारे बीच दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूं, पहली, ईश्वर की किताब क़ुरआन और दूसरी, अपने कार्य और अपनी शिक्षाएं अर्थात अपनी सुन्नत । अगर तुम इन दोनों को सख़्ती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे ।''

अब हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) हमारे बीच नहीं रहे, परन्तु आपकी छोड़ी हुई दोनों चीज़ें हमारे पास पूर्णतः प्रामाणिक रूप में सुरक्षित हैं । आइए, हम आज के मुसलमानों को न देखें, बल्कि क़ुरआन और सुन्नत को देखें और फिर अपने से सवाल करें कि क्या इसमें हमारे लिए कोई मार्गदर्शन है । अगर है तो इसको जानें, समझें और अगर दिल गवाही दे कि यही एक सच्चाई है, तो बिना किसी भेदभाव और संकोच के इसे अपना लें ।

# हज़रत हिन्द बिन्त अम्र (रज़ि॰)

❖ तालिब हाशमी

हज़रत हिन्द बिन्त अम्र बिन हराम अंसारिया (रज़ि॰) का ताल्लुक़ ख़ज़रज की शाख़ बनू सलमा से था । आपका विवाह सैयदुल अंसार हज़रत अम्र बिन जमूह (रज़ि॰) से हुआ था । लेकिन इस्लाम स्वीकार करने में वे अपने पति से सबक़त ले गयी थीं । हज़रत अम्र बिन जमूह (रज़ि॰) ने हिजरत के बाद और जंगे बद्र से पहले इस्लाम क़ुबूल किया था जबकि उनके बेटा हज़रत मुआज़ (रज़ि॰) और पत्नी हज़रत हिन्द (रज़ि॰) ने हिजरत से पहले ही इस्लाम क़ुबूल कर लिया था । हज़रत मुआज़ (रज़ि॰) के बैअते उक़्बा कबीरा (सन 13 हिजरी) में भाग लेने का भी सम्मान प्राप्त है ।

हज़रत हिन्द (रज़ि॰) बड़ी सच्ची आस्था वाली मुस्लिम महिला थीं । उन्हें आप (सल्ल॰) से बड़ी मुहब्बत और अक़ीदत थी । सन 3 हिजरी में जंगे उहुद के मौक़े पर उन्होंने जिस धैर्य व संयम, ईमानी जोश और रसूल (सल्ल॰) से मुहब्बत का आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया इतिहास में इसकी मिसाल कम ही मिलती है ।

जंग उहुद में हज़रत हिन्द (रज़ि॰) के पति हज़रत अम्र बिन जमूह (रज़ि॰), बेटा हज़रत ख़ल्लाद (रज़ि॰) और भाई हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि॰) तीनों लड़ते-लड़ते शहीद हो गये । हज़रत हिन्द (रज़ि॰) पति, बेटा और भाई की शहादत की ख़बर सुनी तो किसी प्रकार का रोना-धोना करने के बजाय लोगों से पूछा : "मुझे यह बताओ कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) का क्या हाल है ? अल्लाह न करे उनको तो कोई घाव नहीं लगा ?"

जब लोगों ने उन्हें बताया कि अल्लाह की कृपा से आप (सल्ल॰) खैरियत से हैं तो उनको इत्मीनान नसीब हुआ और वे जंग के मैदान की ओर चल पड़ीं । वहां पहुंच कर जब आप (सल्ल॰) को देखा तो अनायास पुकार उठीं ।

"आप (सल्ल॰) सलामत हैं तो सारी मुसीबतें हेच हैं ।"

कहते हैं कि हज़रत हिन्द (रज़ि॰) अपने साथ एक ऊंट ले गयी थीं । उसी ऊंट पर अपने पति, बेटा और भाई की लाशें लाद कर मदीना मुनव्वरा की ओर चल पड़ीं । रास्ते में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि॰) मिलीं जो कुछ महिलाओं के साथ आप (सल्ल॰) की ख़ैर-ख़बर लेने मैदाने उहुद की ओर आ रही थीं । उम्मुल मोमिनीन ने हज़रत हिन्द (रज़ि॰) से आप (सल्ल॰) के बारे में पूछा । उन्होंने जवाब दिया ।

"अल्लाह का शुक्र है आप (सल्ल॰) ख़ैरियत से हैं और ये लाशें मेरे पति, भाई और बेटा की है जिन्होंने लड़ाई में शहादत पायी ।"

इतने में उनका ऊंट ज़मीन पर बैठ गया । बहुत कोशिश की गयी लेकिन ऊंट मदीने की ओर नहीं बढ़ा । उम्मुल मोमिनीन ने कहा : "शायद बोझ ज़्यादा है ।"

हज़रत हिन्द (रज़ि॰) ने कहा, "नहीं, उम्मुल मोमिनीन ! इस पर तो इससे ज़्यादा बोझ लादा जाता है ।"

अंततः उन्होंने ऊंट का रुख़ उहुद की ओर मोड़ा तो वह तुरंत चल पड़ा । हज़रत हिन्द (रज़ि॰) तीनों शहीदों की लाशें आप (सल्ल॰) की सेवा में ले गयीं । उस समय आप (सल्ल॰) दूसरे शहीदों की लाशें दफ़्न करवा रहे थे ।

आप (सल्ल॰) ने हिन्द (रज़ि॰) से पूछा, "क्या उनमें से किसी ने घर से चलते समय कुछ कहा था ।" हज़रत हिन्द (रज़ि॰) ने जवाब दिया, "हां, ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! मेरे पति हज़रत अम्र बिन जमूह (रज़ि॰) ने घर से चलते समय यह दुआ मांगी थी कि, "इलाही, मुझको शहादत नसीब फ़रमाइयो और मुझको नाउम्मीद अपने बाल-बच्चों में वापस न लाइयो ।"

उसके बाद आप (सल्ल॰) ने तीनों शहीदों को उहुद की गंजे शहीदां में अपने सामने दफ़्न करवाया ।

### 2. हज़रत सुहैला बिन्त मसऊद (रज़ि॰)

हज़रत सुहैला बिन्त मसऊद अंसारिया (रज़ि॰) जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि॰) की

पत्नी थीं । आपका ताल्लुक़ अंसार के क़बीला ज़फ़र से था । हज़रत सुहैला (रज़ि॰) के पहले पति की मृत्यु जंगे उहुद से पहले ही हो चुकी थी ।

हज़रत जाबिर (रज़ि॰) के पिता हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन हराम (रज़ि॰) की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने पीछे हज़रत जाबिर (रज़ि॰) के अलावा 6 छोटी बेटियां भी छोड़ीं । (कुछ रिवायतों में 9 या 10 बेटियों का उल्लेख मिलता है ।) उनकी देखभाल के लिए हज़रत जाबिर (रज़ि॰) ने हज़रत सुहैला बिन्त मसऊद (रज़ि॰) से निकाह कर लिया । आप (सल्ल॰) को पता चला तो आप (सल्ल॰) ने हज़रत जाबिर (रज़ि॰) से कहा : "जाबिर, तुमने एक विधवा से निकाह किया है । यदि किसी कुंवारी से शादी करते तो वह तुम से चुहल करती, तुम उससे चुहल करते ।"

उन्होंने कहा : "ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! बहनें कमसिन थीं, इसलिए होशियार औरत की ज़रूरत थी, जो उनके बाल संवारती, जुएं निकालती, कपड़े-सी कर पहनाती ।" (संभवत: हज़रत जाबिर रज़ि॰ की मां की भी मृत्यु हो चुकी थी ।) आप (सल्ल॰) ने कहा : "तुमने ठीक किया ।"

हज़रत सुहैला (रज़ि॰) को आप (सल्ल॰) से अत्यधिक मुहब्बत और अक़ीदत थी । हज़रत जाबिर (रज़ि॰) जब आप (सल्ल॰) की दावत करते तो वे बड़े ज़ौक़-शौक़ से ख़ाना तैयार करतीं ।

निकाह के कुछ दिनों बाद हज़रत जाबिर (रज़ि॰) ने अपने पिता का क़र्ज़ अदा करने की ख़ुशी में आप (सल्ल॰) की दावत की । आप (सल्ल॰) हज़रत जाबिर (रज़ि॰) के घर गये । उन्होंने आप (सल्ल॰) को गोश्त, ख़ुर्मा और पानी पेश किया । आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया : "शायद तुम को मालूम है कि मैं गोश्त बड़े चाव से खाता हूं ।" खाना खाने के बाद जब आप (सल्ल॰) वापस जाने लगे तो हज़रत सुहैला (रज़ि॰) ने अन्दर से आवाज़ दी । "ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! मुझ पर और मेरे पति पर दरूद पढ़िए ।" आप (सल्ल॰) ने तुरंत कहा, "अल्लाहुम्म सल्ले अलैहिम ।"

ख़ंदक़ की जंग में एक दिन हज़रत जाबिर (रज़ि॰) ने देखा कि आप (सल्ल॰) को तीन दिनों का फ़ाक़ा है । आप (सल्ल॰) के पेट पर पत्थर बंधा है । तड़प उठे और उसी समय घर जाकर हज़रत सुहैला (रज़ि॰) से कहा : "अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) फ़ाक़ा से हैं, कुछ हो तो पकाओ ।"

उस समय घर में केवल एक साअ् जौ मौजूद था । हज़रत सुहैला (रज़ि॰) ने तुरंत जौ को पीसा और आंटा गूंधा । हज़रत जाबिर (रज़ि॰) ने एक बकरी का बच्चा ज़िब्ह करके गोश्त देग़ची में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया । फिर वे आप (सल्ल॰) को लेने चले । हज़रत सुहैला (रज़ि॰) बड़ी ख़ुद्दार महिला थीं, बोलीं, "दो-तीन आदमियों का खाना है । आप (सल्ल॰) के साथ ज़्यादा लोगों को न लाना, ऐसा न हो कि शर्मिन्दगी उठानी पड़े ।"

हज़रत जाबिर (रज़ि॰) आप (सल्ल॰) की सेवा में हाज़िर हुए और चुपके से कहा : "ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! हमने आपके खाने की व्यवस्था की है । आप कुछ आदमियों के साथ तशरीफ़ ले चलिए ।"

आप (सल्ल॰) ने उनकी दावत क़ुबूल कर ली लेकिन साथ ही यह एलान भी करवा दिया कि जाबिर (रज़ि॰) ने सभी ख़ंदक़ वालों की दावत की है । यह एलान सुनकर हज़रत जाबिर (रज़ि॰) बहुत परेशान हुए लेकिन आप (सल्ल॰) के अदब से ख़ामोश रहे ।

आप (सल्ल॰) ने उनसे कहा, "चूल्हे से देग़ची न उतारना और ज़ब तक मैं न आऊं, आटा न पकाना ।"

फिर आप (सल्ल॰) तमाम ख़ंदक़ वालों के साथ हज़रत जाबिर (रज़ि॰) के घर तशरीफ़ ले गये और खाने में बरकत की दुआ की । उसका प्रभाव यह हुआ कि आप (सल्ल॰) और तमाम सहाबियों ने सैर होकर खाया लेकिन फिर भी बचा रहा । आप (सल्ल॰) ने हज़रत सुहैला (रज़ि॰) को संबोधित करते हुए कहा :

"इसे तुम खुद खाओ और लोगों के यहां भेजो क्योंकि लोग भूखे हैं ।"

मसनद अहमद हंबल (रह॰) में एक और घटना का उल्लेख मिलता है । एक बार हज़रत जाबिर (रज़ि॰) आप (सल्ल॰) की सेवा में अच्छे क़िस्म के छुहारे पेश किये, जिसमें गुठली नहीं थी । आप (सल्ल॰) ने उसे देखकर कहा : "मैं समझा था, गोश्त है ।"

हज़रत जाबिर (रज़ि॰) उसी समय घर गये और अपनी पत्नी हज़रत सुहैला (रज़ि॰) से सारी बातें कह सुनायी । उन्होंने तुरंत एक बकरी ज़िब्ह की और आप (सल्ल॰) की सेवा में भेजा ।

## 'अयोध्या फ़ैसले' पर एक प्रतिक्रिया

# आशा थी चिट्ठी आएगी

आशा थी चिट्ठी आएगी
उजले सूरज को लाएगी

चिट्ठी आई साथ में लेकिन
झोली भर-भर रातें लायी
'सच' से हट कर पक्षपात की
धार-धार बरसातें लायी

सोचा था कि 'झूठ घरों' से
करके यह कुट्टी आएगी

आशा थी चिट्ठी आएगी

गांव, शहर, पथ, घर आंगन सब
चांद-सितारे सन्न हो गये
'बिजली के झटके लहराये
नभ के कोने खिन्न हो गये

'भोले पंछी' ठगे गये जी
ऋतु क्या फूल खिलाएगी

आशा थी चिट्ठी आएगी

'न्याय देवता' की चादर भी
हुई लांछित-सी मैली है
कटुता और छद्म में डूबी
परछाई-सी अब फैली है

आने वाली कई सदियों को
चिट्ठी यह शरमाएगी ।

आशा थी चिट्ठी आएगी ।

**अभिराम सत्यज्ञ जयशील**
हथुआ (बिहार)

# मिथ्यावादी दुर्भावना न पनपाएं

(पृष्ठ 7 का शेष)

शिक्षा नहीं सत्यदासजी की शिक्षा है । वे फ़रमाते हैं, 'मांस खाना बिल्कुल बन्द कर दें' (क्रमांक 5), गाय की हत्या तो किसी भी हालत में न करें, (क्रमांक 6), क़ुरआन के लफ़्ज़ों के ग़ुलाम न रहें, मुल्क की सब क़ौमों के साथ मिलकर रहें, ख़ासकर सियासी मामलों में मज़हबी बातों के नाम पर फूट न फैलाएं (क्रमांक 9), ऐसी कोशिश न करें, जिससे मुल्क के टुकड़े-टुकड़े हो जाएं या सब लोग मिल-जुलकर न रह सकें (क्रमांक 11)। इन वाक्यों को ऐसा बनाकर पेश किया गया है मानो ये सब इस्लामी आदेश हों ।

स्पष्ट रहे कि इस्लाम में हलाल (विदित) मांस खाना जायज़ है, क़ुरआन के आदेशों का पालन इस्लाम की शिक्षा है, मुसलमान देश के सदैव हितैषी रहे हैं और हैं, वे दूसरे समुदायों के साथ वैर भाव नहीं रखते, न ही सियासी मामलों में कोई ग़ैर क़ानूनी और असंवैधानिक हस्तक्षेप करते हैं, वे देश को टुकड़े-टुकड़े करने वाली शक्तियों के सदैव ख़िलाफ़ रहे हैं और हैं, लेकिन यह विचारणीय तथ्य अवश्य है कि उक्त मिथ्या, अनर्गल और भ्रामक बातों से साम्प्रदायिक सौहार्द बहुत बाधित हो सकता है । हमें अनावश्यक आक्षेप, निंदा और 'स्वयंभू-भाव' से ऊपर उठकर जन-सामान्य के सामने ऐसी बातें पेश करनी चाहिए जो वास्तव में 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' हों ।

**POSTAL LIBRARY**




Bainy Singh Ki Talaiya
Gohalpur, Jabalpur-482002
**Mob. : 9300929747, 9300101373**

# AL-HERA LIBRARY

(Run and Managed by **Sabiha Welfare Trust,** Registration No. 5418/4603)

Near Road No. 10, Main Road, Jawahar Nagar, P.O. Azadnagar,
Mango, Jamshedpur-832110, Jharkhand (INDIA)
E-mail : al_hera_library@sify.com, Mob. : 09334634662, 09204000609

## APPEAL

An academic library named **"AL-HERA LIBRARY"** was established in 2004 to uplift the education standard in the downtrodden people of the society. Now it is running under **"SABIHA WELFARE TRUST" Regn. no. 5418/4603, PAN No. AAITS2377J.** This is the only academic library in approx. 8 lakhs populated area, it works progressively and achieving its goal day by day. It was started with 75 books only & after 6 consecutive years it reaches 4656 books. But still it requires your support to fulfill the student's requirements. Apart from that library also works for carrier counseling, AIDS awareness, blood donation, quiz contest etc.

The president of the library received **CMD** (chairman and managing director) award 2006 in the category of **"CORPORATE RESPONSIBILITY"** from Cummins in India held at Pune. Visit **(orkut.com>search>type al hera library).**

Here is the kind request to all of you that please bring your hand forward for this noble cause to serve the students for their glorious future and make our country developed and strong through education.

You are requested to send your donations to :
A/C name : SABIHA WELFARE TRUST
Bank name : STATE BANK OF INDIA
Branch : Bistupur, Jamshedpur, Jharkhand
A/C no. : 30573132872

May Allah give you returns, Inshallah, Ameen

PRESIDENT
**MD. SHAHNAWAZ QUAMAR**

# काफ़िर और जिहाद

■ सुरेन्द्र सिंह कादियाण

'काफ़िर' और 'जिहाद' इन दो शब्दों का इस्लाम में विशेष महत्व है । कुरआन पर जो गंभीर दोष अन्य धर्मावलंबियों द्वारा आयोजित किये हैं उसका कारण इन दोनों शब्दों के सही अर्थों को न समझना है । सामान्य मुस्लिम जनता भी इन शब्दों के सही अर्थों से अनभिज्ञ है । भारत में इन दोनों शब्दों के अनर्थ ने हिन्दू-मुस्लिम जनता में सन्देह और अविश्वास की दीवार खड़ी की है, उनमें फूट के बीज बोये हैं जबकि कुरआन प्रेम और एकता का मार्ग प्रशस्त करता है । इन दो शब्दों का विस्तारपूर्वक न तो अध्ययन किया गया और न ही साहित्य द्वारा अस्ली रूप में प्रकट किया । यही मुख्य कारण है कि हिन्दू जनता के समक्ष इस्लाम का रूप अधिकांशत: हिंसक बनकर ही प्रकट हुआ है ।

यह कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं मानी जानी चाहिए कि कुछ मुसलमानों की साम्राज्यवादी लिप्सा ने भी इस्लाम को प्रतिकूल धारा में प्रवाहित करने का यत्न किया । अनेक मुस्लिम बादशाह जो कि इस्लाम के प्रचारक माने जाते हैं, वास्तव में कुरआन की मूल भावना से नावाकिफ़ थे । इन दोनों शब्दों का सही अर्थ क्या है ? यही यहां प्रकट करना अभीष्ट है ।

'काफ़िर' के अर्थ हैं–इन्कार करने वाला । कुरआन के अनुसार चार प्रकार के काफ़िर हैं । जो लोग ईश्वर के एकत्व और उसकी सत्ता में अविश्वास रखते हैं, वे कुरआन को दृष्टि में काफ़िर हैं । वेदों में इन्हीं लोगों को नास्तिक कहा गया है ।

'काफ़िर की इसी परिभाषा के अंतर्गत मूर्तिपूजक आते हैं । कुरआन में उन लोगों को भी काफ़िर कहा गया है जो न केवल अन्य देवों को मानते हैं बल्कि मुसलमानों के धर्म में बाधा डालने के लिए अत्याचार, शोषण, असत्य, अन्याय और हिंसा (युद्ध) का सहारा लेते हैं । इसी प्रकार के काफ़िरों के लिए कुरआन में कहा गया है कि 'जहां पाओ उनका वध करो ।' पहले प्रकार के काफ़िरों के प्रति ऐसा कठोर आदेश कुरआन में कहीं नहीं दिया गया ।

बलात् धर्म परिवर्तन का आदेश कुरआन में नहीं मिलता । कुरआन की दृष्टि में वे लोग भी काफ़िर हैं, जिसका बाहरी रूप तो साधु-संत का है लेकिन जिसके भीतर अहंकार, द्वेष, घृणा सत्य का इन्कार और स्वार्थ के स्रोत फूट रहे हैं । ऐसे ढोंगी अर्थात् काफ़िर प्रत्येक धर्म (इस्लाम में भी) में देखने को मिल जाते हैं । कुरआन सभी ईशग्रंथों तथा महापुरुषों का आदर एवं सम्मान करता है, चाहे वह किसी भी देश या जाति का क्यों न हो । इन धर्म-ग्रंथों तथा महापुरुषों में द्वेष बुद्धि रखने वाला या इनमें स्वार्थवश भेद डालने वाला व्यक्ति भी कुरआन को दृष्टि में काफ़िर है । इन चार प्रकार के काफ़िर में दूसरी प्रकार के काफ़िर जो कि बलात् युद्ध थोपने का उपक्रम करते थे क़ुरआन में बाध्य माने गये अन्यथा 'रज़ीन' के अनुसार मुहम्मद साहब की शिक्षा थी :


प्रो॰ मुहम्मद क़मरुज़्ज़मा

9826809922
9826689853

पापुलर ट्रेवल्स

लग्जरी बस सेवा 2/2 (स्लीपर) के लिए सम्पर्क करें ।

| | | |
|---|---|---|
| अम्बिकापुर से बिलासपुर | रात्रि | 23:20 |
| अम्बिकापुर से रायपुर | प्रात: | 03:00 |
| अम्बिकापुर से डाल्टेनगंज | रात्रि | 21:30 |
| अम्बिकापुर से डाल्टेनगंज | रात्रि | 22:25 |
| अम्बिकापुर से डाल्टेनगंज | रात्रि | 22:30 |
| मननगढ़ से डाल्टेनगंज | रात्रि | 19:10 |
| अम्बिकापुर से मननगढ़ | संध्या | 05:00 |
| अम्बिकापुर से चीरमीरी | प्रात: | 06:30 |
| अम्बिकापुर से मननगढ़ | संध्या | 16:10 |
| रायगढ़ से डाल्टेनगंज | रात्रि | 21:40 |

राम मंदिर के पास, अम्बिकापुर, सरगुजा (छत्तीसगढ़)

ہماری بعض اہم کتابوں کا پہلی بار

# ہندی اڈیشن

| | | |
|---|---|---|
| **नमाज़ में आप क्या पढ़ते हैं?**<br>मौलाना सय्यद अबुल- आला मौदूदी | [نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟] | 12.00 |
| **मुस्लिम औरतों की ज़िम्मेदारियाँ**<br>मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी | [مسلمان خواتین کی ذمے داریاں] | 20.00 |
| **भारत में इस्लाम की दावत की अहमियत और उसके तक़ाज़े**<br>मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी | [ہندستان میں اسلام کی دعوت اہمیت اور تقاضے] | 14.00 |
| **काबा का सफ़र**<br>मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी | [سوے حرم چلا] | 24.00 |
| **प्यारे नबी (सल्ल०) की चहेती बेटियाँ**<br>फ़ज़्ले-क़दीर नदवी | [رسول اللہؐ کی صاحبزادیاں] | 16.00 |
| **इस्लाम सफलता का एकमात्र रास्ता**<br>मौलाना सय्यद हामिद अली | [اسلام کامیابی کا واحد راستہ] | 08.00 |
| **इशदूतत्व की धारणा विभिन्न धर्मों में** | [مجموعہ مضامین] | 20.00 |
| प्यारे नबी (सल्ल०) के चार साथी-3<br>**हज़रत उस्मान ग़नी (रज़ि०)**<br>इरफ़ान ख़लीली | [پیارے نبیؐ کے چار یار حضرت عثمان غنیؓ-حصہ سوم] | 35.00 |
| प्यारे नबी (सल्ल०) के चार साथी-4<br>**हज़रत अली (रज़ि०)**<br>इरफ़ान ख़लीली | [پیارے نبیؐ کے چار یار حضرت علیؓ-حصہ چہارم] | 30.00 |
| **ईश्वर की रहस्यमय हस्ती**<br>मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ | [خدا کی پراسرار ہستی کا تصور] | 14.00 |
| **हदीस सौरभ** (अनुवाद एवं व्याख्या सहित) भाग-2<br>मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ | [کلام نبوت-جلد دوم] | 350.00 |

**MMI PUBLISHERS**

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025 • Phone: 26971652, 26954341, 26946447(D) • Fax: 26947858 • **E-mail:**mmipublishers@gmail.com • **Website:** www.mmipublishers.net

जो तेरे साथ अन्याय करे, उसे तू क्षमा कर दे, जो तुझे अपने से अलग कर दे उससे संबंध बढ़ा, जो तेरे साथ बुराई करे उसके साथ तू भलाई कर और सदैव सत्य बात कह चाहे वह तेरे विरुद्ध ही क्यों न जाती हो ।'

दूसरा विवादस्पद शब्द 'जिहाद' है इसके विषय में मौलवी मुहम्मद अली ने अपने पुस्तक The Holy Quran में एक स्थान पर लिखा है कि जिहाद का अर्थ 'तलवार की लड़ाई करना अरबी भाषा से बिल्कुल नावाक़फ़ियत ज़ाहिर करना है ।

कुरआन की 25वीं सूरत की 52वीं आयत में मुहम्मद (सल्ल०) को कहा गया है कि लोगों के साथ कुरआन के माध्यम से जिहादे कबीर अर्थात ज़बरदस्त जिहाद करो जिसका तात्पर्य है कि कुरआन की शिक्षा व उपदेशों का सम्पूर्ण शक्ति से प्रचार व प्रसार करो तथा लोगों को उसकी वास्तविकता समझाओ । इस आयत के अनुसार सत्य का प्रचार करने में किया गया प्रयत्न जिहाद ही नहीं अपितु 'जिहादे कबीर' अर्थात बड़ा जिहाद है । मौलवी मुहम्मद अली बैज़ाबी, इमाम असीरुद्दीन तथा अबू हय्यान जैसे कुरआन के टीकाकारों ने इस आयत को इसी भाव से ग्रहण किया है ।

'जिहादे अकबर' उस प्रयत्न को भी कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य इन्द्रिय निग्रह करता है अर्थात अपनी वासनाओं पर संयम का अंकुश रखता है या क्रोध, द्वेष अथवा नफ़्स पर क़ाबू पाता है । मुहम्मद साहब की एक हदीस है । 'सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ़्स पर क़ाबू पाना, यानी अपने गुस्से और ख़्वाहिशों को जीतना है ।' मुस्लिम परम्परा में नमाज़ पढ़ने, रोज़े रखने तथा दान देने में अधिकाधिक समय और श्रम व्यय करने को 'मुजाहदा' कहा जाता है । शत्रुओं के अमानुषिक अत्याचारों से भयभीत जो मुसलमान अंयत्र चले जाते थे किन्तु धर्म-पथ से विचलित न होकर सत्य औ संतोष पर डटे रहते थे, उनके इस कार्य को भी कुरआन (16-110) में जिहाद से संबंधित किया गया है ।

मुफ़्रदात-इमाम राग़िब ताज-उल-अरुस की दृष्टि में जिहाद के अर्थ हैं : किसी ऐसी चीज़ के साथ जो ठीक न हो अपनी हद दर्जे की ताक़त लगाकर उसे ठीक करने की कोशिश करना ।' क़ुरैश के अत्याचारों से पीड़ित होकर जो मुसलमान मक्का छोड़ 'इथोपिया' चले गये, लेकिन धर्म और सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा, उनके इस काम को कुरआन (8-72, 74, 75) में 'अल्लाह की राह में अपनी जान व माल से जिहाद' करना कहा गया है । कुरआन के 'जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह' का अर्थ अल्लाह की राह में कोशिश करना है । कुरआन में स्थान-स्थान पर दया, प्रेम, भ्रातृभाव और सत्य को प्रभु-मार्ग उद्घोषित किया गया है ।

कुरआन के टीकाकारों की इस उक्ति में बल है कि कुरआन में कहीं भी 'जिहाद' शब्द का अर्थ स्पष्टत: हथियार उठाना नहीं है । अपनी और अपने धर्म के रक्षार्थ क़दम उठाने का आदेश यद्यपि कुरआन देता है, किन्तु यहां कहीं भी (2:190-195, 316, 4-74-75, 84, 90, 94, 61:4) इसका उल्लेख आया है, वहां जिहाद का नहीं, बल्कि 'क़िताल' शब्द का प्रयोग हुआ है । शान्ति, विचार-विनिमय और प्रेम के द्वारा किसी व्यक्ति को इस्लाम में दीक्षित करने के प्रयत्न को भी कुरआन (9:73, 36:9) में जिहाद की संज्ञा दी गयी है ।


एहतिशाम ख़ान मोबाइल : 09425842976

पब्लिक ट्रैवेल्स

| | |
|---|---|
| सिवनी से मंडला | प्रात: 7:20 |
| सिवनी से छिंदवाड़ा | प्रात: 7:55 |
| छिंदवाड़ा से बालाघाट | प्रात:10:30 |
| मंडला से सिवनी | दिन 12:50 |
| बालाघाट से सिवनी | सायं 6:00 |
| सिवनी से नैनपुर | सायं 5:40 |
| नैनपुर से सिवनी | दिन 12:20 |

प्रतिदिन

नोट : शादी व पार्टियों के लिए 33, 40 एवं 50 सीटर बस उपलब्ध है संपर्क करें-

एहतिशाम ख़ान, बस स्टैंड, सिवनी (मध्य प्रदेश)

# अनाथ लड़कों की पुकार

# VOICE OF ORPHAN BOYS

## यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)



## एक परिचय

● दीनी और असरी शिक्षा की अपनी तरह की जानी-मानी रिहाइशी पाठशाला ● 93 वर्षों की सेवाएं ● बहुत से विभाग ● शिक्षा के पड़ाव : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● हिफ़्ज़ का विभाग : हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक ● हर वर्ष बिहार स्कूल बोर्ड परीक्षा का 100 प्रतिशत रिज़ल्ट ● पत्राचार शिक्षा 2010-2011 के सत्र के लिए 11वीं, 12वीं और बी०ए० में प्रवेश जारी ● कंप्यूटर की भी शिक्षा ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक अनाथ छात्र पर वार्षिक ख़र्च 8000/- रुपये प्रति वर्ष ● कुल वार्षिक ख़र्च 14 लाख से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● 125 अनाथ बच्चे जिनका पूरा ख़र्च इदारा ही उठाता है ।

● जिस रूप में संभव हो मदद करके अल्लाह से बड़ा इनाम प्राप्त करें–उदाहरण के लिए ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● क़ुरबानी की खाल ● एक अनाथ बच्चे का वार्षिक ख़र्च ● अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवाना आदि ।

● याद रखें यहां हर वर्ष ऑडिट (Audit) भी कराया जाता है । आप ख़ुद यतीमख़ाना इस्लामिया पहुंच कर बराबरी का व्यावहारिक नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस प्रकार अनाथ और मां-बाप वाले बच्चे मिल-जुलकर रहा करते हैं ।

## यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

**नोट** : यह इदारा विदेशी मुद्रा के क़ानून FCRA के तहत भी रजिस्टर्ड है ।

**अब आप विदेश से BANK A/c No. 300402010000187**

**BANK CODE NO. UBININBBJAM,**

**UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)**

**.....में अपनी रक़म भेज सकते हैं.....**

**चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE**

**.....चेक, ड्राफ़्ट, मनीऑर्डर या ख़त भेजने का पता.....**

Hon. SECRETARY, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

At+P.o : CHERKI-824237, Distt : GAYA (BIHAR) INDIA

BANK A/C NO. : 10581, UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

CORE BANKIN G A/C NO.: 300402010010581

☎ 0631-2734428 ● Mobile : 9955655960,

E-mail : gmocde@yahoo.co.in, Website : www.gmogaya.com

अध्यक्ष
डॉ० फ़रासत हुसैन

नाज़िम
डॉ० मुहम्मद एहतिशाम रसूल

# परीक्षाओं में सफलता कैसे प्राप्त करें ?

आनंद और मिलन दोनों दसवीं में पढ़ते थे । आनंद बहुत कम ही पढ़ता था, जबकि मिलन रात-दिन किताबों से चिपका रहता था । लेकिन जब परीक्षाफल घोषित हुआ तो आनंद प्रथम आया, जबकि मिलन द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ । मिलन की समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आयी कि उसे कम अंक क्यों मिले । वह सभी से यही कहता-फिरता कि उसकी कॉपियां ग़लत ढंग से देखी गयी है ।

अकेले मिलन ही नहीं ऐसे बहुत से छात्र हैं जो दिन-रात पढ़ाई करते हैं लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त कर पाते । इनमें से कुछ तो कॉपी ग़लत देखी जाने का दावा करते हैं और कुछ अपने आपको बुद्धिहीन समझकर हीन भावना का शिकार हो जाते हैं । लेकिन वास्तविकता इससे बहुत भिन्न होती है ।

रात-दिन किताबों पर सिर खपाये रहना पढ़ाई करने का सही तरीक़ा नहीं है । कुछ विद्यार्थियों पर तो पढ़ाई का भूत इस क़दर सवार रहता है कि वे खाना-पीना यहां तक कि रात में नींद भी ख़राब करते रहते हैं । परिणाम में सफलता हाथ लगे या न लगे कई तरह की बीमारियों का शिकार अवश्य हो जाते हैं । इस प्रकार की गयी पढ़ाई कभी फ़ायदेमंद नहीं होती । अब सवाल उठता है पढ़ाई कैसे करें ? तो इसके लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर अमल करें । फिर देखें सफलता मिलती है कि नहीं ।

### परीक्षाओं से पहले

● अपने गृह कार्य तथा अध्ययन का अलग-अलग समय बनाए । अध्ययन की समय सारणी में सभी विषयों को स्थान दें ।

● समय के पाबंद रहें । समय सारणी का ईमानदारीपूर्वक पालन करें, लापरवाही न बरतें ।

● पढ़ाई करते समय चित्त को एकाग्र रखें । मन के विकारों को उत्पन्न न होने दें ।

● प्रश्न को याद करने के पश्चात् उसे पाठ्य-पुस्तक की नहीं बल्कि अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें । इससे प्रश्न अच्छी प्रकार समझ में आ जाता है ।

● सायंकाल तरोताज़ा होकर पढ़ना प्रारंभ करें तथा अधिकतम 9-10 बजे रात्रि तक ही पढ़ाई करें ।

● सोने के पहले अपने द्वारा याद किये गये प्रश्नों को मस्तिष्क में दोहराएं । ऐसा करने से अध्ययन संबंधी त्रुटियां दूर होती हैं तथा याद की गयी सामग्री भूलती नहीं ।

● प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा पढ़ें, जो भी याद करें उसे कॉपी में अवश्य लिखें ।

● गणित के सवाल हल करने के लिए रात्रि का समय अतिउपयुक्त रहता है । अतः रात्रि में ही गणित के प्रश्न हल करें । कोई सवाल यदि एक-दो बार हल करने में हल हो तो उस पर निशान लगाकर अगला सवाल हल करें । वह सवाल अगले दिन विषय अध्यापक से पूछें ।

● नियत समय पर नहाएं, खाएं तथा खेलें । खेलने से शरीर में स्फूर्ति आती है और मस्तिष्क तरोताज़ा रहता है ।

● ग़लत मित्रों का साथ न करें । न ही उनके साथ घूमें-फिरें । ऐसे सार्थक मित्र बनाएं जिनसे समय-समय पर अध्ययन संबंधी वार्तालाप कर सकें ।

### परीक्षाओं के समय

● परीक्षाओं में देर रात तक न पढ़ें । सुबह चार बजे उठें और तरोताज़ा होकर मन लगाकर मुख्य-मुख्य तथ्य समझें । पूरी किताब एक कोने से दूसरे कोने तक पढ़ने न बैठ जाएं ।

● निर्धारित समय से एक-आधा घंटा पूर्व परीक्षा भवन पहुंचे । परीक्षा देते समय तनाव मुक्त, आत्मविश्वासपूर्वक व धैर्य के साथ परीक्षा दें ।

● प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका मिलने पर तुरंत लिखने न बैठ जाएं, बल्कि प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ने के पश्चात प्रश्नों से हल करना आरंभ करें ।

● जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न करें । अगले प्रश्न को हल करें ।

● लिखने में जल्दबाज़ी न करें । जितना भी लिखें सही और सुन्दर लिखावट में लिखें ।

उपयुक्त बिन्दुओं पर अमल कर और सार्थक पढ़ाई कर आप परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करने में अवश्य सफल होंगे । बस ज़रूरत है दृढ़निश्चय और परिश्रम की ।

**भानुप्रताप सिंह** (आलोक फीचर्स)

# मदद के लिए अपील

जामिया मिस्वाहुल उलूम चौकोनियां, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जाना-माना तालीमी इदारा है। यह इदारा सिद्धार्थ नगर ज़िला के ग्रामीण क्षेत्र में है। यहां लगभग सभी राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल के छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं। यह इदारा आधी सदी से तालीम व तर्बियत के मोर्चे पर मुस्लिम समाज की सेवा कर रहा है। यहां प्राइमरी से लेकर आलिमीयत तक की तालीम का पूरा इन्तिज़ाम है। यहां दीनी और अस्री उलूम को एक ख़ास इम्तिज़ाज के साथ सिमोया गया है, जिसके कारण जामिया को तालीमी मैदान में एक अलग और प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। यहां क़याम और तआम की सारी सहूलतें उपलब्ध हैं। जामिया मिस्बाहुल उलूम की विशेषता तालीम के साथ इस्लामी बुनियादों पर छात्रों की मिसाली तर्बियत करना है।

## जामिया के मंसूबे

● मर्कज़ी लाइब्रेरी की तामीर ● जामिया की मस्जिद के अधूरे कामों को पूरा करना ● लड़कियों के लिए अलग दर्सगाह की तामीर ● टेक्निकल सेन्टर का क़याम ● होस्टल की तामीर ● अनाथालय की तामीर ● फैमिली क्वार्टर्स की तामीर

**अह्ले ख़ैर हज़रात से दरख़्वास्त है कि जामिया की दिल खोलकर मदद करें और अल्लाह के यहां उसका बदला पाएं।**

—: भेजने का पता :—

**जामिया मिस्बाहुल उलूम**

चौकोनियां भारत भारी, सिद्धार्थनगर-272191

फ़ोन : 09450587737, 09793424547

**जामिया का बैंक खाता नं०**

A/c No. 30290663653 S.B.I. डुमरियागंज, कोड-1250

# आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को ही मिले आरक्षण

■ संजय गुप्त

केन्द्रीय सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों की तरह आरक्षण की मांग कर रहे जाट समुदाय के विभिन्न संगठनों ने पिछले एक सप्ताह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे राज्यों में अनेक स्थानों पर जिस तरह रेल यातायात ठप कर रखा है उसे समाज विरोधी आचरण ही कहा जाएगा। जाट समुदाय की आरक्षण की मांग के पीछे कुछ आधार हो सकते हैं, लेकिन हरियाणा और पश्चिती उत्तर प्रदेश के जाटों के संदर्भ में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उनके पास अच्छी ख़ासी खेती योग्य भूमि है और उनमें से अनेक को अपनी ज़मीनों के अधिग्रहण के एवज़ में पर्याप्त मुआवज़ा भी मिला है। इसके चलते उनमें संपन्नता भी आयी है। इस समुदाय की गिनती सामाजिक अथवा आर्थिक रूप से कमज़ोर तबक़ों में नहीं होती। इसके बावजूद जाट नेता अपने समुदाय के लिए आरक्षण चाह रहे हैं। ऐसा लगता है कि अपने समाज के बेरोज़गार युवकों की बढ़ती फ़ौज के कारण जाट नेताओं को राजनीति करने की सूझी है। उनके आन्दोलन के चलते रेल यातायात जिस तरह बाधित हुआ है उससे हज़ारों लोग परेशान हैं। ये परेशान लोग यह सोचने के लिए मजबूर हैं कि आख़िर किसी को इस तरह जनता को बंधक बनाकर अपनी मांगें मनवाने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है ? हर कोई यह भी पूछ रहा है कि आन्दोलन करने का यह कौन-सा तरीक़ा है, लेकिन कोई भी इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं।

आरक्षण के संदर्भ में इन सवालों पर भी कोई ग़ौर करता नहीं दिखता कि क्या आरक्षित वर्ग पिछड़ेपन से वास्तव में मुक्त हो चुके हैं ? क्या आरक्षण समाज में समता लाने में समर्थ है ? स्वतंत्रता के उपरांत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए जब आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी तो उसकी अवधि केवल 10 वर्ष रखी गयी थी, लेकिन हर 10 वर्ष में यह अवधि बढ़ायी जाती रही और अब तो लगता है कि आगे भी ऐसा ही किया जाता रहेगा, क्योंकि आरक्षण वोट बैंक की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। जब भी कहीं से आरक्षण की मांग उठती है, कोई न कोई राजनीतिक दल उसका समर्थन करने के लिए आगे आ जाता है। राजनीतिक दल आरक्षण संबंधी मांगों का विरोध इसलिए नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक खोने का भय सताने लगता है। परिणाम यह है कि आरक्षण की मांगें लगातार बढ़ती जा रही हैं। समय-समय पर इन मांगों का राज्य सरकारें भी समर्थन करती हैं और केन्द्र सरकार भी।

आरक्षण की राजनीति को सबसे अधिक बल तब मिला जब वी॰पी॰ सिंह के कार्यकाल में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की वकालत करने वाली मंडल आयोग की रपट लागू की गयी। इसके बाद से आरक्षण की मांगों का सिलसिला क़ायम है—इसलिए और भी, क्योंकि राजनीतिक दल इस तरह की मांगों का समर्थन यह देखे बग़ैर करने


हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि॰) बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने मुझे इससे मना किया है कि जो चीज़ मेरे पास न हो उसकी बिक्री करूं।

(हदीस)

नूर मुहम्मदी होटल और कैटरर्स

अब्दुल हकीम चौक, भिंडी बाज़ार, मुंबई-400003

फ़ोन : 23456008/23476188



"पहुंचा दो मेरी ओर से चाहे एक ही आयत क्यों न हो"

–हज़रत मुहम्मद सल्ल॰

आइए लोगों तक कुरआन पहुंचाएं !

आइए ! अपने फ़र्ज़ मंसबी को अदा करें !!

*आइये ! अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की अज़ीम सुन्नत को अदा करें !!!*

कुरआन और हदीस से यह बात साबित है कि अब क़ियामत तक कोई नबी या रसूल आने वाला नहीं है । क़ियामत तक आने वाले इन्सानों के लिए अल्लाह तआला मुकम्मल हिदायतनामा "कुरआन मजीद" के तौर पर दे चुका है । अब इस हिदायतनामा यानी कुरआन मजीद को पूरी इन्सानियत तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी मुस्लिम उम्मत की है । क्या हम इस ज़िम्मेदारी को अदा कर रहे हैं ? यदि नहीं तो तुरंत इसकी चिंता करें, इससे पहले कि अल्लाह हम से हिसाब ले।

अत: प्रत्येक मुसलमान यह प्रोग्राम बनाए कि

- वह अपने ग़ैर-मुस्लिम दोस्त या पड़ोसी या जिन ग़ैर-मुस्लिमों से ताल्लुक़ात हों, उन्हें अपने घर आमंत्रित करे और कुरआन मजीद का अज़ीम तोहफ़ा पेश करे ।
- यदि उन्हें घर नहीं बुला सकते हों तो उनके पास जाए और उनकी सेवा में कुरआन मजीद का तोहफ़ा पेश करे ।

**SALAAM Centre**

**Head Office: # 65/1, 1st Main Road, S.R.K. Garden, JAYANAGAR EAST, Bangalore - 41**
**Branch: G.C., RICH HOMES, RICHMOND ROAD, Bangalore - 25, Cell: 99451 88488, 99451 77477**
**Email: salaamcentrebangalore@gmail.com www.salaamcentre.org**

लगते हैं कि समुदाय विशेष वास्तव में आरक्षण का हक़दार है या नहीं ? पिछले कुछ समय से आरक्षण से वंचित कुछ समुदाय जहां अनुसूचित जाति-जनजाति के तहत आरक्षण चाह रहे हैं वहीं कुछ अन्य पिछड़े वर्गों के तहत । आरक्षित वर्ग के अनेक नेता न्यायपालिका में भी आरक्षण की वकालत कर रहे हैं ।

यह एक तथ्य है कि मंडल आयोग ने जाट समुदाय को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में नहीं रखा था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते कुछ राज्यों ने उसे पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता दे दी । परिणाम यह है कि अब जाट समुदाय केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण मांग रहा है–इस आधार पर कि यदि उसे राज्यों की नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है तो केन्द्रीय सेवाओं में क्यों नहीं ? जाट नेताओं ने पिछले वर्ष भी आन्दोलन छेड़ा था और उस दौरान दिल्ली में जलापूर्ति ठप कर दी थी । इस बार जाट नेताओं के आन्दोलनरत होते ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों ने आरक्षण की उनकी मांग का समर्थन कर दिया । आरक्षण की मांगों का बढ़-चढ़कर समर्थन करने वाले नेताओं से यह पूछा जाना चाहिए कि जिस तरह सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं और उनके लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए अन्य अनेक समुदायों और विशेष रूप से अपेक्षाकृत सक्षम तबक़ों को आरक्षित श्रेणी में लाने का क्या मतलब ? यदि राजनीतिक कारणों से समाज के सक्षम तबक़ों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा तो किसी न किसी स्तर पर अन्य आरक्षित वर्गों के अधिकारों में कटौती होगी । स्पष्ट है कि आरक्षण आपसी वैमनस्य बढ़ाने वाला साबित हो सकता है । बेहतर हो कि राजनेता यह समझें कि जातियों के बीच की खायी चौड़ी करना ठीक नहीं । राजनेता चाहे जैसा दावा क्यों न करें, किसी को इसकी परवाह नहीं कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाना है, न कि सरकारी नौकरियां बांटना, उच्चतम न्यायालय के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता । संविधान इस आरक्षण सीमा को लांघने की इजाज़त नहीं देता । स्पष्ट है कि आरक्षित वर्गों के लिए सरकारी नौकरियां सीमित ही रहेंगी । शायद इसी कारण अब आरक्षण सीमा को बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करने के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग हो रही है । निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करना एक तरह देश की कुशलता से समझौता करना होगा । आज जब विचार इस पर होना चाहिए कि आरक्षण को और कितने सालों तक जारी रहना चाहिए तब सरकारी नौकरियों में बंदरबांट के लिए होड़ मची है । यह ठीक नहीं । अब समय आ गया है कि आरक्षण के नये तौर तरीक़ों पर विचार किया जाए ताकि आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग ही शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में रियायत पा सकें ।

देश में इस समय जो जनगणना हो रही है उसमें जातियों की भी गिनती होनी है । उम्मीद है कि इस जनगणना के बाद सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के वास्तविक आंकड़े सामने आ जाएंगे । इन आंकड़ों के ज़रिये हमारे नीति-निर्धारकों को आरक्षण की व्यवस्था को नया रूप देना चाहिए, क्योंकि मंडल आयोग की रपट जिन जातिगत आंकड़ों के आधार पर लागू की गयी वे आज़ादी के पहले के हैं ।

यदि आरक्षण व्यवस्था के नये तौर-तरीक़े नहीं बनाये गये तो आरक्षण के राजनीतिक इस्तेमाल की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी । यह प्रवृत्ति राजनेताओं के लिए भले ही हितकारी हो, समाज के लिए अहितकारी ही अधिक है ।

(साभार : दैनिक जागरण, 13 मार्च 2011)


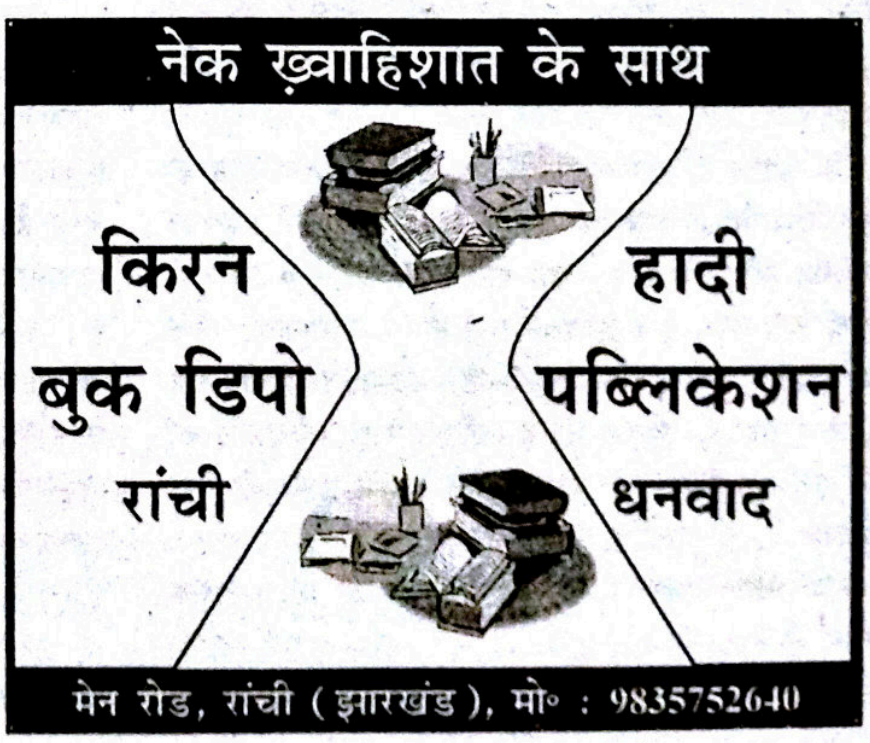

# इस्लामी समाज में औरत

❖ मौलाना अब्दुर्रशीद उस्मानी

इन्सानी ज़िन्दगी की गाड़ी दो पहियों पर आश्रित है–मर्द और औरत । इन दोनों पहियों के अस्तित्व और संतुलन की बुनियाद पर ही गाड़ी सही तौर पर चल सकती है । अगर इनमें से किसी एक में ख़राबी, कमज़ोरी या असंतुलन आ जाए तो ज़िन्दगी में अव्यवस्था पैदा हो जाती है । इस स्थिति में या तो गाड़ी सही दिशा में भटक जाएगी या एक ही जगह ठहर कर जड़ता का शिकार हो जाएगी ।

इतिहास इस बात का गवाह है कि जब मर्द और औरत ने अपनी ज़िम्मेदारियां सही ढंग पर पूरी कीं, तो इन्सान की व्यक्तिगत एवं सामूहिक ज़िन्दगी अम्न व शांति का गहवारा बन गयी, और जब ज़िम्मेदारियों की अदायगी में कोताही हुई तो व्यक्तिगत और सामूहिक ज़िन्दगी को ख़राबियों, नाकामियों और तबाहियों का सामना करना पड़ा । अतः इन्सान के सामाजिक जीवन, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सभ्यता और संस्कृति को बहुत नुक़सान उठाना पड़ा ।

**औरत के साथ अनुचित व्यवहार**

औरत वास्तव में आधी मानवता है । हमें इस पर विचार करना चाहिए कि जीवन के निर्माण एवं विकास में वह क्या भूमिका निभा सकती है । समाज में उसकी हैसियत और स्थान क्या है ? अतीत के लंबे इतिहास में यह तथ्य सुस्पष्ट है कि औरत को उसका सही और उचित स्थान बहुत ही कम दिया गया है और उसे अपमानित किया गया है । इन्सान की यह कमज़ोरी है कि वह शैतान के फ़रेब व चाल में जल्द फंस जाता है । आदिकाल से लेकर वर्तमानकाल तक के इतिहास में इन्सान सामान्यतः इंद्रीय इच्छाओं और मनोकामनाओं का गुलाम रहा है । शैतान ने इन मनेच्छाओं को इस तरह सुसज्जित कर रखा है कि इन्सान इन्हीं की ओर झुकता है । अल्लाह और उसके रसूल की इताअत (आज्ञापालन) तथा नैतिक मर्यादाओं की वह ख़िलाफ़वर्ज़ी करता है ।

नबियों ने जब भी अपनी दावत (आह्वान) का आग़ाज़ किया और लोगों को तौहीद (एकेश्वरवाद) और शरीअत की पैरवी की तड़प को उभारा, तो कुछ ही अवधि के बाद इन्सानों ने इनकी अवहेलना कर दी । शिर्क (अनेकेश्वरवाद), बुतपरस्ती, मूर्तिपूजा और दुनिया के कामों में अपनी इच्छाओं का पालन किया । इसके साथ ही एक बड़ी कमज़ोरी यह सामने आयी कि औरत को मनेच्छाओं का निशाना बनाया और उसकी इज़्ज़त, मान-मर्यादा और अस्मिता को तार-तार किया गया । उसकी हैसियत एक खिलौने की सी रही ।

पुरुष ने जब चाहा उससे आनंद प्राप्त किया और जब चाहा उसे छोड़ दिया । उसके साथ वे तमाम हरकतें की गयीं, जिन्हें पढ़कर और जानकर इन्सानियत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं । औरत उत्पीड़न का साक्षात् रूप नज़र आती है । हिन्दू धर्म हो या यहूदी धर्म व ईसाई धर्म, रोम व ईरान की सभ्यताएं हों या अरब के अज्ञानकाल की परम्पराएं–हर जगह औरत जुल्म व सितम का निशाना बनी रही–और दुनिया की बड़ी बदनसीबी है कि आज के दौर में भी यह जुल्म व सितम जारी है, बल्कि यह कहना ग़लत न होगा कि यह प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा को पहुंच चुकी है ।

आधुनिक सभ्यता ने इस आधी दुनिया के साथ जो अभद्र व्यवहार किया है और कर रही है, उसने अतीत की दास्तानों को मात कर दिया है । आज औरत कल के मुक़ाबले में अत्यंत अपमान और पस्ती की घाटी में पहुंच चुकी है । होटल हो या क्लब, हवाई जहाज़ का सफ़र हो या महफ़िल की रौनक़ हर जगह औरत अर्धनग्न नज़र आती है । टी॰वी॰ के चैनल उस वक़्त तक अपने दर्शकों को संतुष्ट नहीं कर पाते जब तक औरत को वासनापूर्ण आकर्षक रूप में न दिखाया जाए । साबुन की एक मामूली टिकिया के विज्ञापन के लिए अर्धनग्न औरत का चित्रण आवश्यक है । इसके बग़ैर न तो साबुन बिक सकता है और न टूथ पेस्ट ।

**विभिन्न धर्मों में महिला का स्थान**

इस्लाम दुनिया के आम इन्सानों के लिए निज़ामे रहमत (कल्याणकारी व्यवस्था) है, लेकिन औरतों के हक़ में

# कल्याणकारी इस्लामी शिक्षाएं

उसकी रहमत बहुत व्यापक है । अफ़सोस इस बात का है कि इस्लाम के बारे में ग़लतफ़हमियां मौजूद हैं और उनमें बढ़ोत्तरी हो रही है । इनका निराकरण अभी तक नहीं हो सकता । हमारे देश में आमतौर पर यह बात फैलायी गयी है कि इस्लाम औरतों के प्रति मर्दों को सख़्त रवैया अपनाने के निर्देश देता है और एक मुस्लिम औरत कठोर कठिनाइयों में फंसी हुई है । इस्लामी शरीअत उसे चारदीवारी में बंद रखने का हुक्म देती है । मर्द मनचाहे अंदाज़ से उसके साथ व्यवहार करते हैं । औरतों की फ़रियाद को कोई सुनने वाला नहीं है और उन्हें किसी क़िस्म के अधिकार प्राप्त नहीं हैं ।

हक़ीक़त यह है कि इस्लाम ने औरत को वह ऊंचा मक़ाम दिया है कि जो उसे पहले कभी हासिल नहीं था । अन्य धर्मों में उसे पापों का केन्द्र, विष की गांठ समझा गया और घृणा, तिरस्कार, दमन और ज़ुल्म का निशाना बनाया गया । हिन्दू धर्म में उसकी हैसियत क्या थी इसे मनुस्मृति के एक श्लोक में इस तरह स्पष्ट किया गया है–'महिला बचपन में अपने पिता के अधीन रहे, युवावस्था में पति के अधीन और विधवा होने पर अपने पुत्रों के अधीन रहे, आत्मनिर्भर कभी न रहे ।'

चाणक्य जिनकी शिक्षाओं के अनुरूप शासन-व्यवस्था चलती थी, महिलाओं के बारे में कहते हैं–'नदी, सशस्त्र सैनिक, पंजे और सींग रखने वाले जानवर, सम्राट और महिला पर भरोसा नहीं करना चाहिए ।' (आग, पानी, अज्ञानी, सांप, शाही परिवार और महिला ये सब चीज़ें विनाश का कारण हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए)

ये और इस तरह की बहुत-सी मान्यताएं हिन्दू सभ्यता और दर्शन में विद्यमान है । सती-प्रथा स्वयं में महिला के लिए भयंकर अत्याचार थी । विधवा महिला को मनहूस जानकर अपने मृतक पति के साथ ज़िन्दा जलने पर मजबूर किया जाता था । विभिन्न सुधारवादी आन्दोलनों के बाद यह रस्म ख़त्म हुई । आज भी अगर कोई ज़िन्दा महिला अपने मृतक पति के साथ चिता में जलकर जान देती है तो बहुत-से ज्ञानवान हिन्दू उसकी प्रशंसा करते हैं । राजस्थान की रूपकंवर नाम की नवविवाहिता ने अपने पति की चिता में ख़ुद को जलाकर मार डाला, तो भारत के बहुत-से महंत उस महिला की प्रशंसा करते रहे और आज भी उसकी समाधि पर धार्मिक अनुष्ठान किये जाते हैं । महिलाओं पर हिन्दू धर्म के अत्याचार इतने कठोर हैं कि उन्हें बयान करने और पढ़ने से इन्सान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ।

यहूदियत जिसमें हज़रत मूसा (अलैहि०) जैसे महान पैग़म्बर को बहुत महत्व प्राप्त है और उनकी शिक्षाओं को अपनाने का उपदेश देती है, उसमें भी महिला को बहुत ही नीचा और पस्त स्थान दिया गया है । अविश्वसनीय, मक्कार और नाफ़रमान बताया गया है–और यह बताया गया है कि इसी ने पुरुष को बहका कर नाफ़रमानी (ईश्वर की अवज्ञा) पर उकसाया । 'ओल्ड टेस्टामेंट' में है–'आदम जन्नत में राहत की ज़िन्दगी गुज़ार रहे थे, वे अल्लाह के आज्ञाकारी और नेक बंदे थे, लेकिन उनकी पत्नी हव्वा ने उन्हें नाफ़रमानी पर उभारा और एक ऐसा फल खिलाया कि वे अल्लाह की रहमतों से वंचित हो गये और अपमान व पस्ती की ज़िन्दगी गुज़ारने पर मजबूर हुए ।' इस संबंध में और भी बहुत-सा विवरण तौरेत में मौजूद है ।

ईसाइयत ने भी, जिसका दावा है कि वह ईसा (अलैहि०) को नुबूवत और अल्लाह का बेटा होने का स्थान देती है, औरत को पतित माना है । इसका अंदाज़ा ईसाइयत के मशहूर धर्म-गुरु तरतोलेन के इन शब्दों से किया जा सकता है–'महिलाओं तुम नहीं जानती कि तुम में से हर एक हव्वा ...तुम शैतान का दरवाज़ा हो । तुमने ही आसमान से ख़ुदा की तस्वीर यानी पुरुष को विनष्ट किया ।''

सेंट पॉल के एक पत्र का उद्धरण देखिए–'औरत को चुपचाप उच्च आज्ञापालन से सीखना चाहिए और मैं अनुमति नहीं देता कि औरत सिखाये या मर्द पर हुक्म चलाए, क्योंकि पहले आदम (अलैहि०) बनाया गया, इसके बाद हव्वा । और आदम फ़रेब में नहीं पड़ा, बल्कि औरत फ़रेब खाकर

गुनाह में पड़ी ।' (तीमुथियुस के नाम प्रेरित पौलुस का पहला पत्र)

औरतों पर जुल्म व सितम का यह इतिहास, तो धार्मिक ग्रंथों से लिया गया है, इससे किसी तरह भी इन्कार नहीं किया जा सकता । इन धर्मों के ज़िम्मेदारों ने औरतों के साथ जो सुलूक किया है उसकी भी एक दर्दनाक दास्तान है । आज के भारत में विधवाओं व देवदासियों के नाम पर औरतों पर जो जुल्म हो रहे हैं, वे किसी से छिपे हुए नहीं हैं ।

### आधुनिक सभ्यता और औरत

आज की आधुनिक सभ्यता ने औरत के साथ जो व्यवहार किया है और उसके साथ होता रहा है, उसका भी सरसरी जायज़ा लेने की ज़रूरत है । अतीत में औरतों के साथ जो कुछ हुआ उससे कई गुना ज़्यादा जुल्म आज 'महिला मुक्ति' के ध्वजावाहक औरतों पर कर रहे हैं । स्टेज पर आकर गाना, नाचना, थिरकना, अश्लील हरकतें करना, देह प्रदर्शन, लोगों की वासनाओं को भड़काना, फ़िल्मों के ज़रिये नग्नता को दिखाना, सौन्दर्य प्रतियोगिताओं के ज़रिये देह प्रदर्शन, टी०वी० और रेडियो के ज़रिये अभद्रता एवं अनैतिकता को हवा देना, जिस्मफ़रोशी के ज़रिये औरत की इज़्ज़त को लूटना—आज यह सब कुछ हो रहा है, जिसे 'प्रगतिवादिता' और 'महिला स्वतंत्रता' का नाम दिया जा रहा है ।

बड़े-बड़े होटलों में धन-दौलत के सहारे किसी की बेटी, किसी की बहन और किसी की बहू की इज़्ज़त व मनेच्छा के दासों व नफ़्सपरस्तों के डाके पड़ते हैं । इन्सानियत रुसवा हो रही है । आज इन्सानियत का दर्द रखने वाले बुद्धिजीवी परेशान हैं कि इस सभ्यता से किस तरह छुटकारा प्राप्त किया जाए । यूरोप, अमेरिका और अन्य विकसित देश तथा उनका अनुसरण करने वाले मदहोशी के आलम में इस 'आधी मानवता' को—अंजाम से बेपरवाह होकर अश्लीलता और नग्नता के सैलाब में बहा ले जा रहे हैं और पूरी इन्सानियत की तबाही व बर्बादी के साधन जुटा रहे हैं ।

तुम्हारी तहज़ीब खुद अपने ख़ंजर से आप ही खुदकुशी करेगी,
जो शाख़े नाज़ुक पर आशियाना बनेगा नापायदार होगा ।

इन जुल्मों के मुक़ाबले में इस्लामी शिक्षाओं का जायज़ा लें, तो साफ़ मालूम होगा कि इस्लाम ने औरत को मज़लूमियत से निकाल कर आज़ाद और बड़ी हद तक स्वायत्त और खुदमुख़्तार बनाया है । आइए हम यह देखें कि इस्लाम ने औरत को क्या स्थान और क्या अधिकार दिये हैं ?

### अमल और अज्र में फ़र्क़ नहीं

इस्लाम औरत मर्द दोनों को सम्मान की दृष्टि से देखता है और उन्हें एक-दूसरे का पूरक मानता है । इन्सानी ज़िन्दगी के लिए दोनों को अपरिहार्य और समान मानता है । क़ुरआन में आया है—'लोगो ! अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत-से मर्द और औरतें दुनिया में फैला दिये । उस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक-दूसरे से अपने हक़ मांगते हो । और रिश्ते व समीपता के संबंधों को बिगाड़ने से बचो । यक़ीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है ।' (सूरह निसा : 1)

यह आयत स्पष्ट करती है कि जिन तत्वों से पुरुष की सृष्टि हुई है, महिला का संबंध भी उन्हीं से है । इस तरह दोनों बराबर हैं, न कोई निम्न है और न कोई उच्च । इन दोनों के आपसी मिलन से असंख्य स्त्री-पुरुष वजूद में आये । और रिश्तेदारी एवं निकटता के एतिबार से अधिकारों में कोई अन्तर नहीं है । हरेक अपने अमल (कर्म) का खुद ज़िम्मेदार है ।

अल्लाह ने क़ुरआन में फ़रमाया है—'जो शख़्स भी नेक अमल करेगा चाहे वह मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वह आज्ञाकारी हो, उसे हम दुनिया में पवित्र जीवन व्यतीत कराएंगे और (आख़िरत में) ऐसे लोगों को उनके अज्र उनके बेहतरीन आमाल के अनुसार बख़्शेंगे ।' (सूरह नह्ल : 97)

इस्लाम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि तमाम इन्सान एक खुदा के बंदे हैं और एक ही मां-बाप के संतान हैं । इन्सान होने के नाते उनमें कोई फ़र्क़ नहीं है । हां, अगर फ़र्क़ हो सकता है तो इस आधार पर कि कौन खुदा से कितना डरता है । क़ुरआन में है—'लोगो ! हमने तुम्हें एक पुरुष और और एक स्त्री से पैदा किया और फिर तुम्हारी क़ौमें और समुदाय बना दिये ताकि एक-दूसरे को पहचानो । दरहक़ीक़त अल्लाह के निकट तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त

वाला वह है जो तुम्हारे अन्दर सबसे ज़्यादा परहेज़गार है, यक़ीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बाख़बर है ।'

(सूरह हुजुरात : 13)

### मुस्लिम औरत ज्ञान के मैदान में

इस्लाम ने ज्ञान को बड़ी अहमियत दी है और उसे प्राप्त करने की प्रेरणा दी है । इस मामले में औरत-मर्द में कोई फ़र्क़ नहीं है । इतिहास बताता है कि औरत ज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ी है । हज़रत आइशा (रज़ि॰) का ज्ञान के मामले में दर्जा बहुत बुलंद है । वे क़ुरआन की आयतों के नाज़िल होने का इल्म, दीनी फ़रायज़, सुन्नतें, साहित्य और अरब इतिहास का बहुत गहरा इल्म रखती थीं । हदीसें बयान करने में हज़रत आइशा (रज़ि॰) का स्थान बहुत उच्च है । चिकित्सा के मैदान में भी उन्हें दक्षता प्राप्त थी । हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि॰), हज़रत हफ़्सा (रज़ि॰), हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि॰), हज़रत अस्मा बिन्त अबूबक्र (रज़ि॰), हज़रत ख़ौला (रज़ि॰) आदि औरतों ने ज्ञान की दुनिया में अपना नाम रोशन किया और बाद के काल में भी मुस्लिम औरतों ने ज्ञान-विज्ञान में बहुत तरक़्क़ी की ।

### जीवन के अन्य क्षेत्रों में

इस्लाम ने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करने से महिलाओं को रोका नहीं है । हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के काल में औरतें अपने ख़ानदान के पुरुषों के साथ काम करती थीं । हज़रत सहल बिन सअद (रज़ि॰) एक महिला का उल्लेख करते हैं । वे अपनी ज़मीन से चुकंदर की खेती करती थीं । जब सहाबा किराम (रज़ि॰) उनके खेत पर जाते, तो वे चुकंदर से बने हुए हलवे से उनकी ख़ातिर करती थीं । इसी तरह अन्य महिलाएं भी कृषि से दिलचस्पी रखती थीं, लेकिन इस्लामी सीमाओं का पूरा पालन करती थीं ।

व्यापार के क्षेत्र में भी औरतें आप (सल्ल॰) के ज़माने में हिस्सा लिया करती थीं । एक औरत ने आप (सल्ल॰) से कहा कि मैं विभिन्न चीज़ें ख़रीद कर बेचती हूं, मैं तिजारत करती हूं । तिजारत के बारे में उन्होंने आप (सल्ल॰) से बहुत-सी बातें पूछीं । अस्मा बिन्त महरसा (रज़ि॰) इत्र का कारोबार किया करती थीं । इस तरह की और भी बहुत-सी औरतों का उल्लेख आप (सल्ल॰) के दौर में मिलता है । कुटीर उद्योगों में भी औरतें हिस्सा लेती थीं । हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि॰) की पत्नी एक अच्छी कारीगर महिला थीं । विभिन्न चीज़ें तैयार करके उन्हें बेचती थीं और अपने घर वालों की ज़रूरतों की पूर्ति करती थीं ।

### औरत जंग के मैदान में

इस्लाम ने राज्य की सरहदों की रक्षा और दुश्मनों से सुरक्षा की ज़िम्मेदारी औरतों पर नहीं डाली है । लेकिन अगर वे पुरुषों के साथ इस फ़र्ज़ को निभाने के लिए आगे बढ़ें, तो इस्लाम ने उन्हें मना नहीं किया है । उहुद की लड़ाई में जब मुसलमानों के पैर उखड़ गये, तो हज़रत उम्मे अम्मारा (रज़ि॰) ने बड़ी दृढ़ता और साबितक़दमी का प्रदर्शन किया । आप (सल्ल॰) के पास पहुंच कर आप (सल्ल॰) की सुरक्षा के लिए तीर और तलवार का इस्तेमाल करने लगीं । आप (सल्ल॰) फ़रमाते हैं कि दाएं-बाएं जिस ओर भी मैंने रुख़ किया उम्मे अम्मारा को अपनी सुरक्षा में लड़ते देखा । हज़रत उम्मे अम्मारा (रज़ि॰) पर नेज़े (भाले) और तलवार के 12 ज़ख़्म आ चुके थे, और एक ज़ख़्म तो इतना गहरा था कि उसके भरने में एक साल लग गया ।

हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद (रज़ि॰) के हाथों यरमूक की लड़ाई में नौ रूमी फ़ौजी मारे गये । हज़रत उम्मे हकीम (रज़ि॰) ने ख़ेमे का एक डंडा लेकर दुश्मन पर वार किया और सात लोगों को मार दिया ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की फूफी ने जो उस क़िले में महफ़ूज़ थीं, जिसमें मुस्लिम औरतों को ख़ंदक़ की लड़ाई के मौक़े पर महफ़ूज़ किया था, एक यहूदी क़िले पर चढ़ आया और उसे हज़रत सुफ़िया (रज़ि॰) ने क़त्ल कर दिया ।

हज़रत रबीआ बयान करती हैं कि हम लोग नबी (सल्ल॰) के साथ युद्ध के मौक़े पर जाते थे । मुजाहिदों को पानी पिलाना, उनकी देखभाल करना, लड़ाई में ज़ख़्मी होने वाले और शहीद होने वालों को मदीना पहुंचाने का काम आपने हमारे सुपुर्द किया । इनके अलावा कितनी ही मुजाहिद औरतों ने लड़ाइयों में अपनी सेवाएं अर्पित कीं । मुजाहिदों के सामान की निगरानी, उनके लिए खाना तैयार करना, घायलों का इलाज, मरहम-पट्टी और बीमारों की

देखभाल उनके ज़िम्मे होती थी ।

उहुद की लड़ाई में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ज़ख़्मी हुए, तो हज़रत फ़ातिमा (रज़ि०) ने ही ज़ख़्म को चटाई की राख से भरा था । इसी लड़ाई में हज़रत आइशा (रज़ि०) और उम्मे सलीम (रज़ि०) ने मुजाहिदों की ख़िदमत की । ये सेवाएं मुस्लिम औरतें अपने प्रभु के लिए करती थीं, जबकि ये कार्य उनकी ज़िम्मेदारी में शामिल नहीं थे ।

### इस्लाम में औरत का वास्तविक स्थान

इन सभी घटनाओं और हालात से यह बात स्पष्ट होती है कि इस्लाम ने औरत पर किसी तरह का जुल्म व ज़्यादती नहीं की है । उनकी तरक़्क़ी की राह में रुकावट नहीं डाली । अलबत्ता इस्लाम ने जो ज़िम्मेदारी औरत पर डाली है, वह उसके घर का मैदान है और परिवार की भीतरी व्यवस्था को बेहतर बनाना है । यह औरत के अपमान और पस्ती का स्थान नहीं है और न ही औरत के साथ अन्याय है । औरत का कार्य-क्षेत्र घर की भीतरी व्यवस्था है और पुरुष का कार्य-क्षेत्र घर के बाहर के मामले और समस्याएं हैं ।

कुरआन मजीद की हिदायत है कि 'और अपने घरों में सुकून से रहो' (सूरह अहज़ाब : 33)। हज़रत अनस (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि कुछ औरतों ने नबी (सल्ल०) से अर्ज़ किया कि मर्द तो फ़ज़ीलत वाले आमाल और जिहाद का सवाब हासिल करते हैं, हम क्या करें कि हमें भी सवाब हासिल हो । इस पर नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया–'तुम में से जो औरत घर में बैठी रहे, तो वह अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों का सवाब पाएगी ।'

मर्द और औरत जब अपने-अपने मैदान में अमल करेंगे, तो आपसी मेल-मिलाप नहीं होगा । दोनों को सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण ज़िन्दगी गुज़ारने का मौक़ा मिलेगा । अगर मर्द और औरत को एक साथ जीवन के समस्त क्षेत्रों में काम करने के अवसर दिये जाएं, तो वही कुछ होगा जो आज हमारा समाज भुगत रहा है । बाज़ारों में स्त्री-पुरुष एक साथ लेन-देन कर रहे हैं । क्लबों और पार्कों में एक साथ सैर व तफ़रीह हो रही है । स्कूल और कालेजों में सह-शिक्षा का रिवाज है । कारख़ानों, फैक्ट्रियों और दफ़्तरों में एक साथ काम किये जा रहे हैं । इन सबकी पहली मार महिला की मान-मर्यादा पर पड़ती है । निरंतर एक साथ रहने के नतीजे में स्त्री और पुरुष बेक़ाबू हो जाते हैं–और फिर वह सब कुछ होता है जिससे समाज में ख़राबियां पैदा होती हैं, जिसे आज का समाज भुगत रहा है । अब इसका सुधार बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है ।

आज इस बात को तारीफ़ की निगाह से देखा जाता है कि हर मैदान में औरत को मर्द के साथ काम करने के लिए तैयार किया जाए, लेकिन परिणाम हमारे सामने है । किसी भी क्षेत्र में औरत मर्द का मुक़ाबला नहीं कर पाती और वह मायूसी का शिकार हो जाती है । इसकी अस्ल वजह यह है कि औरत से वह काम लिया जाता है जो उसके कार्य क्षेत्र से बाहर का है ।

### इस्लाम में औरत के अधिकार

औरतों के अधिकारों के सिलसिले में इस्लाम ने औरत को बहुत-सी सुविधाएं दी हैं । उसका विवाह उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता और अगर उसके 'वली' (संरक्षक) की ओर से ज़्यादती हो, तो वह इसका विरोध कर सकती है और अपने मसले को अदालत के सामने रख सकती है । पुरुष को अगर तलाक़ देने का अधिकार है तो औरत को 'ख़ुलअ' (पति से संबंध विच्छेद) लेने का अधिकार प्राप्त है ।

विरासत के मामले में इस्लाम ने औरत को पिता, पति और बेटे की विरासत में हक़दार ठहराया है । औरत को अपनी आमदनी और अपनी दौलत के मामले में ख़ुदमुख़्तार (स्वत्वधिकारी) बनाया है । उसकी संपत्ति पर उसके होते हुए कोई क़ब्ज़ा नहीं कर सकता । मां, पत्नी और बेटी की हैसियत से उसके अधिकार सुनिश्चित किये गये हैं । इनमें किसी क़िस्म का परिवर्तन नहीं किया जा सकता । मां-बाप की ख़िदमत, पत्नी के महर और ज़रूरतों की पूर्ति और बेटी की शिक्षा-दीक्षा के लिए पुरुषों को विशेष निर्देश दिये गये हैं । इनकी ख़िलाफ़वर्ज़ी करने वाले पुरुष के सिलसिले में बाक़ायदा आदेश जारी किये गये हैं ।

इस्लाम की यह शिक्षा है कि महिला की मान-मर्यादा की रक्षा सबसे पहले की जाए और कुकर्म एवं व्यभिचार से दूर रहने की नसीहत की जाए । कुरआन की शिक्षा है कि 'ज़िना (व्यभिचार) के क़रीब भी न फटको, यह एक

अश्लील कृत्य है ।' (बनी इसराईल : 32)

स्त्री और पुरुष की शारीरिक बनावट भी भिन्न-भिन्न है । औरत के साथ कुछ दिक़्क़तें लगी हुई हैं, वह महीने के तीस दिन चुस्त-दुरुस्त नहीं रह सकती । हर महीने कुछ दिन अनिवार्य रूप से उसे तकलीफ़ से गुज़रने पड़ते हैं, मासिक धर्म का सिलसिला जारी रहता है । इस दौरान औरत की दशा एक बीमार की-सी हो जाती है । गर्भ-काल उसके लिए बहुत कष्टप्रद होता है ।

बच्चे को जन्म देने के बाद भी उसे बहुत-सी तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है । बच्चों की परवरिश और दूध पिलाना उसकी ज़िम्मेदारी होती है ।

इन सब दायित्वों के बावजूद उससे यह कहना कि वह नौकरी करे, फैक्ट्रियों में काम करे, पुरुषों का दिल बहलाने के लिए स्टेज भी सजाये...आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यह उस पर कितना ज़ुल्म और अन्याय है ।

इस्लाम ने उसे इस ज़ुल्म से मुक्ति दिलायी है । परदे के सुसंस्कृत निर्देश और अन्य शरीअत के आदेश उसके हक़ में बहुत लाभप्रद और कारगर हैं । वास्तविकता तो यह है कि इन आदेशों को अमली जामा पहना कर समाज में औरत के स्थान को उच्च से उच्चतर किया जा सकता है । महिलाओं में सुधारवादी कार्य करने वाली संस्थाओं और उनके कार्यकर्ताओं के लिए यह विचारणीय बिन्दु है । औरत के पक्ष में इस्लाम ने जो अधिकार और सुविधाएं सुनिश्चित की हैं, उनका अध्ययन करने की ज़रूरत है । अब आपको खुद यह फ़ैसला करने का अधिकार है कि आधुनिक सभ्यता की चमक-दमक उस पर हो रहे कुछ धर्मों के अत्याचार औरत के पक्ष में हितकारी हैं अथवा इस्लाम की शिक्षाएं ?


# इस्लाम दर्शन केन्द्र, नागपुर

## पोस्टल लाइब्रेरी

**विश्व शान्ति और इस्लाम, सलामती का रास्ता, मृत्यु के बाद का जीवन, आतंकवाद और इस्लाम, इस्लाम आतंक या आदर्श, इन्सानी भाईचारा और इस्लाम, मानव समस्याओं का समाधान इस्लाम में, सामाजिक भेदभाव को मिटाने का एकमात्र रास्ता इस्लाम, साम्प्रदायिक वैमनस्य और आतंकवाद का विरोधी इस्लाम...आदि विषयों पर हम से लिट्रेचर प्राप्त कीजिए । अपने देशबंधुओं को इस्लाम का शांति संदेश देने और अन्य जानकारियों के लिए हम से संपर्क करें । उर्दू, हिन्दी और मराठी भाषाओं में देशबंधुओं के लिए निशुल्क लिट्रेचर प्राप्त कीजिए ।**

## इस्लाम दर्शन केन्द्र, मर्कज़े इस्लामी

**जाफ़र नगर, नागपुर-440013**

**फ़ोन : 07122 581313**

# INFORMATION BROCHURE



- Almanar Social Service a registered society. Bridging the gap between giving and receiving ends.

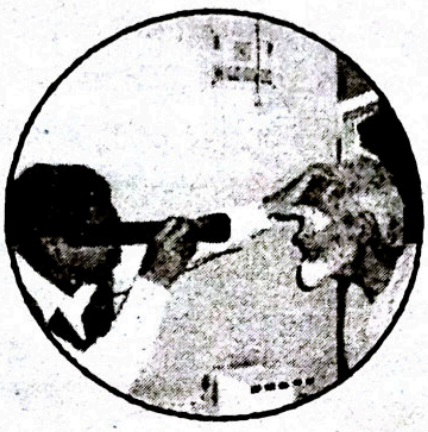

- Working in the field of education, health and employment generation.
- A unique charitable institution in Jharkhand.



- Projects in progress : Model primary school, Health

## المنار سوشل سروس

## Almanar Social Service

(An NGO registered societies Act XXI of 1860


President
Abul Arif
(M.Sc.)

Office : Jharna Road, Near Eidgaah Azadnagar,
Jamshedpur-832110
Tel. : +91-657-6542806, +91-9279149654

Secretary
Haider Imam
(B.com. PG Dip)


Our Bank A/c No. 2960101007675
CANARA BANK
Kabir Memorial School, Zakir Nagar, Mango, Jamshedpur (Jharkhand)

# शिक्षा को धर्माधार प्रदान करने की ज़रूरत

## जमाअत इस्लामी हिन्द के राष्ट्रीय शिक्षा सचिव जनाब अशफ़ाक़ अहमद साहब से 'कान्ति' के उपसंपादक मुशर्रफ़ अली की बातचीत के प्रमुख अंश–



■ पिछले वर्षों में मुसलमानों में शिक्षा की ओर रुझान थोड़ा बढ़ा है, लेकिन फिर भी मुसलमान अभी बहुत पीछे हैं । सरकारी और ग़ैर-सरकारी स्तर पर इस संबंध में क्या करने की आवश्यकता है ?

**उत्तर :** 2001 ई० की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों में शिक्षा का प्रतिशत अन्य देशवासियों की तुलना में कम है अर्थात् 59.1 प्रतिशत । मुस्लिम महिलाओं में शैक्षिक दर 50 प्रतिशत ही है । ग्रामीण और शहरी शिक्षा के दर में भी बड़ा अन्तर है । वर्तमान स्थिति का सही अंदाज़ा तो 2011 की जनगणना के परिणाम आने के बाद ही हो पाएगा । इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकारी और ग़ैर-सरकारी स्तर पर बहुत कुछ किया जा सकता है ।

मुसलमानों के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अब तक सरकार ने जो क़दम उठाये हैं, वे शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं । सरकारी स्तर पर अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है । सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने जो सिफ़ारिशें की हैं उनको सामने रखकर सरकार को योजनाबद्ध तरीक़े से काम करना चाहिए ।

सबसे बड़ी आवश्यकता मुसलमानों की बस्तियों में उनकी संख्या के अनुपात में शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना है । उत्तर-पूर्वी राज्य इस संबंध में बहुत पिछड़े हैं । दक्षिणी राज्यों के मुसलमान शिक्षा के मामले में अन्य देशवासियों के समतुल्य हैं । कहीं-कहीं वे अच्छी स्थिति में हैं ।

ग़ैर-सरकारी स्तर पर मुसलमानों को बहुत कुछ करना है । सबसे पहले तो स्थिति की सही समझ होनी चाहिए । इसके साथ ही यह भी देखना ज़रूरी है कि देश के अन्य समुदाय इस संबंध में क्या कर रहे हैं । दुनिया अब चूंकि एक ग्लोबल गांव बन चुकी है, तो यह भी देखना ज़रूरी हो गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय रुझान क्या हैं ।

मुसलमानों में स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थापना और उनके तहत विभिन्न शैक्षिक और कल्याणकारी कामों को करने का कल्चर भी कम है । इस कल्चर को विकसित करने की आवश्यकता है । हर मस्जिद और हर मोहल्ले में बड़ी आसानी के साथ स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है ।

प्राइवेट सेक्टरों में रोज़गार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए इसकी आवश्यकता महसूस होती है कि प्रतियोगिता की भावना को विकसित किया जाए । स्कूली शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाए । शिक्षकों के शैक्षिक, वैचारिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन के विभिन्न कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किये जाएं । शैक्षिक संस्थाओं की समीक्षा की व्यवस्था हो और उनके लगातार मार्गदर्शन की योजना बनायी जाए ।

इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण और मौलिक आवश्यकता यह भी है कि लोगों में इस्लाम की अवधारणा को फैलाया जाए । यह स्पष्ट किया जाए कि इस्लाम की शैक्षिक परिकल्पना में अक्षर की पहचान के साथ-साथ अल्लाह की पहचान का भी बड़ा महत्व है । शिष्ट और शिक्षित नयी पीढ़ी की तैयारी अल्लाह की पहचान, रिसालत पर ईमान और आख़िरत की जवाबदेही की बुनियादी शिक्षाओं पर आधारित हो ।

# अनाथ लड़कियों की पुकार

# VOICE OF ORPHAN GIRLS

## मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना ( गया )

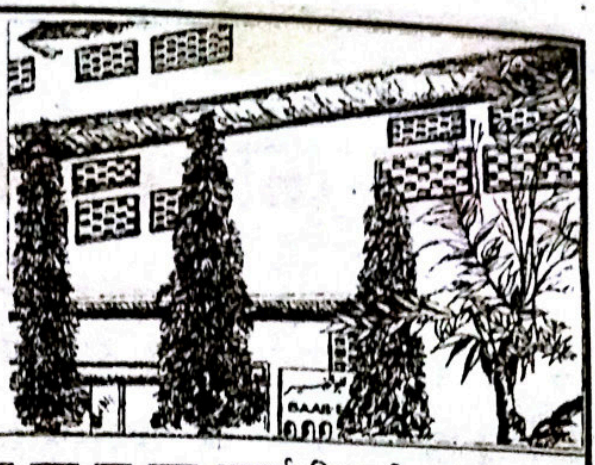

## संक्षिप्त परिचय

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी इदारा ● 24 वर्षीय सेवाएं ● 19 विभाग ● शिक्षा : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● पत्राचार शिक्षा ● 6 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया ● प्रौढ़ शिक्षा ● वोकेशनल सेन्टर ● कटिंग और सिलाई : 6 बैच 70 छात्राएं ● ज़री वर्क्स : 3 बैच 40 छात्राएं ● 1993 ई॰ से 2010 ई॰ तक 63 अनाथ बच्चियों और 37 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया ● वार्षिक ख़र्च : 13 लाख रुपये से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● इदारा 120 अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 8000/- रुपये है–आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठा कर सवाब में शरीक हों ।

सहायता के विभिन्न रूप : ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● दीनी किताबें ● ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदायगी ● स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 73000/- रुपये ● मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाना और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना ● यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किये जाते हैं और ऑडिट होता है । ● इदारा में ख़ुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिलकर रहा करती हैं ।

## यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

**विदेशी चन्दा देने वाले :** भारत सरकार से "मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया) को विदेशों से चन्दा लेने का इजाज़तनामा प्राप्त हो गया है ।

**विदेशों में रहने वाले अब BANK A/c No. 300402010009042**

**BANK CODE NO. UBININBBJAM में अपनी रक़म भेज सकते हैं ।**

**चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–"THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE"**

.....पता.....

GENERAL SECRETARY, THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE

At : KOLOWNA, P.O.: CHERKI-824237, Distt.: GAYA (BIHAR) INDIA

☎ 0631-2734437 ● Mobile : 9934480190

E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.org

BANK A/C NO.: 7752 UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

CORE BANKING A/C NO.: 300402010007752

संस्थापक महासचिव

इक़बाल अहमद ख़ां

मुसलमानों के जागरूक और शिक्षित लोग अपने पिछड़े समुदाय के प्रति अपने दायित्व को महसूस करें । सामान्य रूप से देखा यह जा रहा है कि वे अपने भौतिक जीवन की उन्नति में व्यस्त हैं और पिछड़े समुदाय एवं देशवासियों के बारे में अपने दायित्व निर्वाह से बेपरवाह हैं ।

इस्लाम ने शिक्षा प्राप्ति को जो महत्व दिया है उसको वे उसी ज़ोर के साथ अपने आप पर अपनी नयी पीढ़ी पर लागू करें । अल्लाह का आदेश है कि–"ऐ ईमान वालो ! अपने आपको और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ ।" अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कहा–"शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक मुसलमान के लिए अनिवार्य है ।"

■ सबको शिक्षित करने की सरकार की पॉलिसी के विषय में कुछ मुस्लिम समीक्षकों की राय अच्छी नहीं है । आप इस बारे में क्या सोचते हैं, विस्तर से बताएं ।

**उत्तर :** सबको शिक्षित करने विशेष रूप से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का क़ानून, यह वह वादा है जो देश के संविधान निर्माताओं ने 1950 ई० में किया था और इसके लिए 10 वर्ष का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था । 60 वर्ष बाद उसे लागू करने का संकल्प एक अच्छी पहल है । लेकिन इस संबंध में मैं यह समझता हूं कि पर्याप्त तैयारी और शिक्षा के लिए बजट में राशि निर्धारत किये बिना यह सपना साकार नहीं हो सकेगा । अनिवार्य शिक्षा क़ानून 2010 की कुछ धाराओं को पढ़ने से यह अंदाज़ा होता है कि शिक्षा के विकास के लिए विशेष रूप से अल्पसंख्यक जो टूटे-फूटे प्रयास कर रहे हैं कहीं वह बाधित न हो जाए और स्तरीय आदर्श शिक्षा के संसाधनों का लक्ष्य कहीं शिक्षा को ही प्रभावित न कर दे । सरकार को इस सिलसिले में पिछड़े मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए एक ओर संसाधन उपलब्ध कराने में सहायता को बढ़ाना चाहिए और दूसरी ओर संविधान की धाराओं 29 और 30 की आत्मा को भी बनाए रखना चाहिए ।

■ मुसलमानों में शैक्षिक पिछड़ेपन जो उनके आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन का भी कारण बताया जाता है को दूर करने के लिए जमाअत इस्लामी हिन्द सहित विभिन्न मुस्लिम संगठन क्या कर रहे हैं ?

**उत्तर :** मुसलमानों के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जमाअत इस्लामी हिन्द सहित विभिन्न मुस्लिम संगठन अपनी-अपनी दिशा में प्रयास कर रहे हैं । ये प्रयास मुसलमानों की आवश्यकता की तुलना में बहुत कम हैं । जमाअत इस्लामी हिन्द अपने समर्थक संगठनों के सहयोग से अपनी स्थापना के बाद से ही नयी पीढ़ी की सही दिशा में शिक्षा प्रशिक्षण के लिए प्रयास करती रही है । एक अनुमान के अनुसार ऐसे संगठनों की संख्या देश भर में लगभग दो हज़ार है । जमाअत इस्लामी हिन्द ने यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि मार्च 2011 ई० के अंत तक इन शिक्षा संस्थाओं की संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि हो । जमाअत के एक सहयोगी संगठन ने 2016 ई० तक 100 प्राइमरी स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है । सच्ची बात यह है कि इस्लाम के शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार अपनी नयी पीढ़ियों की शिक्षा प्रशिक्षण का सपना उस समय तक साकार नहीं होगा जब तक पूरा मुस्लिम समुदाय इसकी पहली प्राथमिकता देकर योजनाबद्ध प्रयासों का आरंभ न करें । इसके लिए सरकारी संसाधनों का भी भरपूर इस्तेमाल करना होगा और शिक्षा के प्रसार के सभी औपचारिक और अनौपचारिक तरीक़ों को प्रयोग में लाए ।

■ क्या जमाअत इस्लामी हिन्द शिक्षकों के प्रशिक्षण का भी कोई प्रोग्राम चलाती है ? यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या है ?

**उत्तर :** जमाअत इस्लामी हिन्द ने शिक्षकों की शैक्षिक आवश्यकताओं के विषय में सबसे अधिक प्राथमिकता




विभिन्न स्तरों पर उनके प्रशिक्षण को दी है ।

इस संबंध में जनाब अफ़ज़ल हुसैन की किताब "फ़ने तालीम व तर्बियत" की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है । नये अनुभव और नये रुझानों को देखते हुए इसी नाम से इस किताब के दूसरे भाग की तैयारी का काम चल रहा है ।

जमाअत इस्लामी हिन्द अपनी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण प्रोग्रामों का आयोजन करती है जो दो-तीन दिन से लेकर एक महीने की अवधि पर आधारित है । इस प्रकार के प्रोग्रामों के लिए ट्रेनिंग के ख़ाके बनाये गये हैं । ये वे प्रोग्राम हैं, जो राज्य स्तर पर आयोजित होते हैं ।

शिक्षकों की आवश्यकताओं के आधार पर नयी तकनीक का प्रयोग करते हुए जमाअत के शिक्षा विभाग ने विशेषज्ञ शिक्षकों के लेक्चर्स पर आधारित 50 डी॰वी॰डी॰ और 38 मॉडल लेसंस की सीडियां तैयार की हैं, जो मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी पब्लिशर्स, नयी दिल्ली द्वारा बेची और वितरित की जाती हैं ।

विभिन्न प्रकार के शिक्षकों के लिए जमाअत इस्लामी हिन्द के शिक्षा विभाग ने प्रशिक्षण प्रोग्रामों के ख़ाके बनाये हैं–

- अल्पकालिक स्कूलों के शिक्षकों के व्यावहारिक और शैक्षिक प्रशिक्षण के लिए 15 दिवसीय प्रोग्राम ।
- नौकरी-पेशा शिक्षकों के लिए एक सप्ताह का ट्रेनिंग प्रोग्राम ।
- अनट्रेंड टीचर्स के लिए एक महीने का प्रोग्राम ।
- अंग्रेज़ी भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए दो सप्ताह का ट्रेनिंग प्रोग्राम ।
- मदरसा से पढ़े हुए शिक्षकों के लिए एक वर्ष का बी॰एड॰ के समतुल्य कोर्स ।

इस सिलसिले में इन्नोवेटिव कोर्सेज के बारे में जमाअत यह चाहती है कि इस कोर्स को सरकारी स्तर पर मंज़ूर कराया जाए । इसके लिए प्रयास जारी हैं ।

■ पाठ्यक्रम की तैयारी के सिलसिले में प्राइवेट स्कूलों की आंप क्या सहायता कर सकते हैं ?

**उत्तर :** जमाअत इस्लामी हिन्द ने निजी स्कूलों के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम तैयार किये हैं–

1. एक ऐसा स्कूली पाठ्यक्रम जो दसवीं कक्षा तक आधुनिक और दीनी शिक्षा के मिश्रण पर आधारित है । इस पाठ्यक्रम के अनुसार पांचवीं कक्षा तक पुस्तकें भी तैयार की गयी हैं, जो कुल मिलाकर 90 किताबों पर आधारित है । प्राइमरी स्तर पर महत्वपूर्ण विषय इस्लामियात, गणित और विज्ञान की पुस्तकें अंग्रेज़ी और हिन्दी भाषाओं में भी तैयार की गयी हैं । इस समय आठवीं कक्षा तक पाठ्य-पुस्तकों की तैयारी की योजना पर काम हो रहा है ।

2. आठवीं कक्षा के बाद 6 वर्षीय आलिमियत का पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है, जिसके अनुसार अधिकतर दीनी मदरसे चलाये जा रहे हैं ।

3. इस्लामियात का उर्दू, हिन्दी और अंग्रेज़ी में 'सच्चा दीन' के नाम से एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसको नियमित और पत्राचार दोनों तरीक़े से इस्तेमाल किया जा सकता है ।

■ शिक्षा के माध्यम को लेकर बड़ी असमंजस्य की स्थिति होती है । उर्दू मीडियम को लोग पिछड़ेपन की निशानी समझते हैं और अंग्रेज़ी माध्यम में शिक्षा का स्तर अच्छा न होने के कारण परिणाम अच्छे नहीं आते । आपका इस बारे में क्या सुझाव है ?

**उत्तर :** शिक्षाविद् इस पर सहमत हैं कि बच्चे की प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए । मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने से आरंभ से बच्चे की कल्पना में बहुत-सी चीज़ें स्पष्ट होती हैं । मातृभाषा के कारण वह चीज़ों को अच्छी तरह समझता है । विचार व्यक्त करने में


Niyaz Ahmed
Tel. : 2292062 (S)
M. : 98261-29877
Hosiery Centre
Wholeseller
Readymade & Handloom
B/43 Uttar Gangotri, Supela, Bhilai, Durg (C.G.)

भी उसे आसानी होती है । स्थानीय और अंग्रेज़ी भाषा के महत्व को देखते हुए इन भाषाओं को भी आरंभ से ही सिखाने की व्यवस्था हो तो बच्चा आसानी से उन भाषाओं को भी सीख सकता है । लेकिन कई भाषाएं एक साथ एक ही कक्षा में आरंभ करने के बजाय एक-एक, दो-दो वर्ष के अंतराल पर सिखायी जाएं तो उचित होगा । इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भाषा सिखायी जा रही है कक्षा में में उस भाषा का वातावरण पैदा किया जाए । सामान्य रूप से देखा जाता है कि उर्दू और हिन्दी मीडियम स्कूलों में अंग्रेज़ी भाषा का वातावरण कक्षा में पैदा नहीं किया जाता, जिसके कारण बच्चों को उस भाषा को सीखने, समझने और बोलने में संकोच होता है । अंग्रेज़ी भाषा के प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी भी एक बड़ी समस्या है ।

■ शिक्षित समाज में नैतिक मूल्यों का तेज़ी से होता ह्रास कैसे रोका जा सकता है ?

**उत्तर :** शिक्षित समाज में नैतिक मूल्यों के बढ़ते ह्रास पर सब को चिंता है । पिछले दिनों जितने बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं, उनके पीछे पढ़े-लिखे लोगों के ही हाथ हैं । लड़कियों के जन्म को बोझ समझ कर उन्हें गर्भ के भीतर ही समाप्त कर देना, जिसके परिणामस्वरूप दोनों लिंगों का अनुपात प्रभावित हो रहा है । राष्ट्रीय स्तर पर 1000 पुरुषों में 935 महिलाओं का अनुपात है । कुछ राज्यों में यह अनुपात इससे भी कम है, अर्थात 850 के निकट है ।

इसी तरह महिला उत्पीड़न की घटनाएं, विवाहिता के जलने की घटनाएं, नयी पीढ़ी का नशे का आदी बन जाना, नवजवानों में हिंसा का बढ़ता हुआ रुझान, ग़रीबी के परिणामस्वरूप पैदा होने वाले अपराध, इन सबके लिए वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, जिसमें अल्लाह और आख़िरत (पारलौकिक जीवन) की अनदेखी की जाती है, को ही उत्तरदायी समझा जाता है । शिक्षा विशेषज्ञों को भी नैतिक मूल्यों में आयी इस गिरावट का एहसास है । अत: अब नैतिक मूल्यों के महत्व को महसूस किया जा रहा है और नैतिक शिक्षा का एक सिलसिला शुरू हुआ है । जमाअत इस्लामी हिन्द की यह सोची-समझी राय है कि जब तक समाज को, अल्लाह को पहचानने वाला, आख़िरत के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा और पैग़म्बरों के जीवन को नमूना नहीं बनाया जाएगा उस समय तक सच्चे नैतिक मूल्य समाज में पैदा नहीं हो सकते ।

लघुकथा

# क़ातिल

■ मुहम्मद चांद

मैं फ़र्राटे से गाड़ी चला रहा था । बहुत खुश और उत्साहित था । अचानक मैंने अपनी गाड़ी की रफ़्तार कम कर ली । अरे यह क्या ? सामने कुत्ते का एक छोटा-सा पिल्ला सड़क पर आ गया था । पिल्ला सड़क के बीचोबीच बड़ी मस्ती से गुज़र रहा था और गाड़ियां धड़ल्ले से गुज़र रही थीं । मैं भी साइड से निकल आया । थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि मेरे दिमाग़ में उस पिल्ले का चित्र घूमने लगा । एक साथ कई ख़याल मेरे दिमाग़ में उठने लगे । यह क्या किया मैंने ? क्या वह मासूम पिल्ला मौत के मुंह में तो नहीं समा जाएगा ? मैंने यह क्या कर डाला ? क्या मेरे दिल में उसके प्रति यही हमदर्दी थी कि उसको उसके हाल पर छोड़ दूं और उससे कोई मतलब न रखूं । क्या यही इन्सानियत है । मैं उस होटल पहुंचा जहां हो रही एक सेमीनार में मुझे शरीक होना था । सेमीनार का विषय था–इन्सानों की सेवा । मैंने उस सेमीनार में हिस्सा लिया । इन्सानियत के लिए काम करने के कई तौर-तरीक़े जाने । बावजूद इस सबके मेरे दिमाग़ में बार-बार वह पिल्ला घूम रहा था । अगर वह मर गया तो उसकी मौत का ज़िम्मेदार मैं ही रहूंगा । यह क्या कर डाला मैंने ? एक तरफ़ मैं इन्सानों की सेवा करने की सोच रहा हूं, दूसरी तरफ़ एक छोटे से मासूम जानवर की जान बचाने में मैंने शर्म महसूस की ? नज़रअंदाज़ कर दी मैंने उसकी मासूम ज़िन्दगी ।

मैं भारी मन से वापस घर लौट रहा था । जब उसी जगह से गुज़रा तो मेरा दिल भारी हो गया । उस जगह के इर्द-गिर्द मैंने कुछ तलाशने की कोशिश की । क्योंकि मुझे आशंका थी कि कहीं उसके चीथड़े...ख़याल आते ही मैं तो सिहर उठा और आंखें मूंदकर आगे बढ़ गया ।

मुझ में साहस नहीं था उस जगह का सामने करने का । मैं भारी मन से लौट आया । रात को सोने से पहले सोचता रहा–आज क्या हासिल हुआ मुझे उस सेमीनार से ? शायद उस मासूम पिल्ले को सकुशल रास्ता ही पार करवा देता तो मैं सुकून की नींद सो पाता । लगता किसी की जान बचायी हैं मैंने । क्या यह बेहतर शुरुआत नहीं होती मेरी इन्सानों की सेवा करने की ? बजाय उस सेमीनार के । मैं ख़ुद को एक समाजसेवी नहीं बल्कि एक क़ातिल की तरह महसूस करने लगा ।

"अल्लाह उस आदमी के साथ दयालुता का मामला करेगा जो क्रय-विक्रय और क़र्ज़ का तक़ाज़ा करने में नरमी और शालीनता बरते।" (हदीस)

**Abdul Malik** **9845311911**

# UNIQUE CREATIONS

**Spl. in Unipole & Structure Hoarding**

**#4, Bldg NO. 29/35, 1st Main Road,**
**Opp. Masjid-e-Husna, SRK Garden,**
**Jayanagar East, Bangalore-560041**
**E-mail : uniquecreations2008@gmail.com**

# सहानुभूतिपरक हत्या का औचित्य

■ शकीलुर्रहमान

युग की मांग नये-नये विचारों और विधि को जन्म देती है । विचार सुखद भी हो सकते हैं और दुखद भी । विचार अगर दुखद हों और उन्हें समय रहते न बदला जाए तो इनकी जड़ें फैलती जाती हैं और यह संकट का रूप धारण कर लेती हैं और फिर एक नया विचार जन्म लेता है ।

21वीं शताब्दी के प्रारंभ में चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ ऐसा ही हुआ । नवम्बर 2000 के अंतिम दशक में हॉलैंड की संसद के निम्न सदन ने 'सहानुभूतिपरक हत्या' (Mercy Killing) के अधिकार को यह कहते हुए मंजूरी दे दी थी कि जनता चाहे तो इसे स्वीकार करे अन्यथा रद्द कर दे परन्तु बाद में 'मर्सी किलिंग' को वहां पूर्ण क़ानूनी वैधता प्रदान कर दी गयी ।

सवाल यह है कि क्या किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार पाप्त है ? क्या डॉक्टर इस कार्य में उसकी मदद कर सकता है ? समाज की अन्य संस्थाएं इस परिस्थिति में कैसी भूमिका अदा करें ? वे मौलिक सिद्धांत कौन से हैं जिनका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के रूप में कर सकता है ? इसके राजनीतिक, सामाजिक, व्यावसायिक, वैधानिक और नैतिक पहलू कौन से हैं ? इन सब बातों पर ध्यान दिये जाने की सख़्त आवश्यकता है ।

'सहानुभूतिपरक हत्या' के सबसे बड़े प्रचारक डेरेक हैमफरी हैं । उनका एक साक्षात्कार 'इंडियन एक्सप्रेस' समाचार पत्र में 7 दिसम्बर 1986 को प्रकाशित हुआ था । उनकी पत्नी कैंसर रोग से पीड़ित थी और रोग की अंतिम अवस्था में जब उसकी पीड़ा असहनीय हो गयी तो हैमफरी से यह सब न देखा गया और एक समझौते के तहत हैमफरी ने उसे ज़हरीली शराब पेश कर दी तथा अपनी पत्नी को कष्ट से छुटकारा दिलाने यानी मृत्यु प्राप्त करने में उसको मदद पहुंचायी ।

इस घटना ने हैमफरी के मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव डाला और वह यूथेनेशिया के वकील बन गये । उसके बाद हैमफरी ने सहानुभूतिपरक हत्या पर तीन पुस्तकें भी लिख डाली । ये पुस्तकें हैं, "जिंस वे", "लेट मी डाई बिफॉर आई वेक" तथा "दी राइट टू डाई" । इसके बाद हैमफरी ने दूसरा विवाह रचाया और दोनों पति-पत्नी कैलिफोर्निया में बस गये । वहां 1980 में उन्होंने 'हेमलॉक सोसायटी' नामक संस्था की स्थापना की । उनके द्वारा लिखी गयी पुस्तकों को अमेरिका में काफ़ी सराहा गया परन्तु ब्रिटेन में इन पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया ।

हैमफरी 'सहानुभूतिपरक हत्या' की उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि आधुनिक चिकित्सा और उपचार के साधन काफ़ी प्रगति कर गये हैं परन्तु इसने अनेक समस्याओं को भी जन्म दिया है । वे तर्क देते हुए कहते हैं कि कुछ ऐसे रोगी भी हैं जो अस्पताल में बिस्तर पर पड़े हुए हैं और वे अपनी जगह से हिल पाने की स्थिति में भी नहीं हैं । नलिकाओं द्वारा ही उनके शरीर में भोजन पहुंचाया जा रहा है और वे उसी की वजह से जीवित हैं ।

हैमफरी कहते हैं कि वास्तव में बुढ़ापे की बीमारियों ने कठिन स्थिति उत्पन्न कर दी है । दवाओं की मदद से आदमी अपने जीवन की अवधि 10-15 साल तो बढ़ा सकता है लेकिन उनकी मानसिक स्थिति दो वर्ष के बच्चों


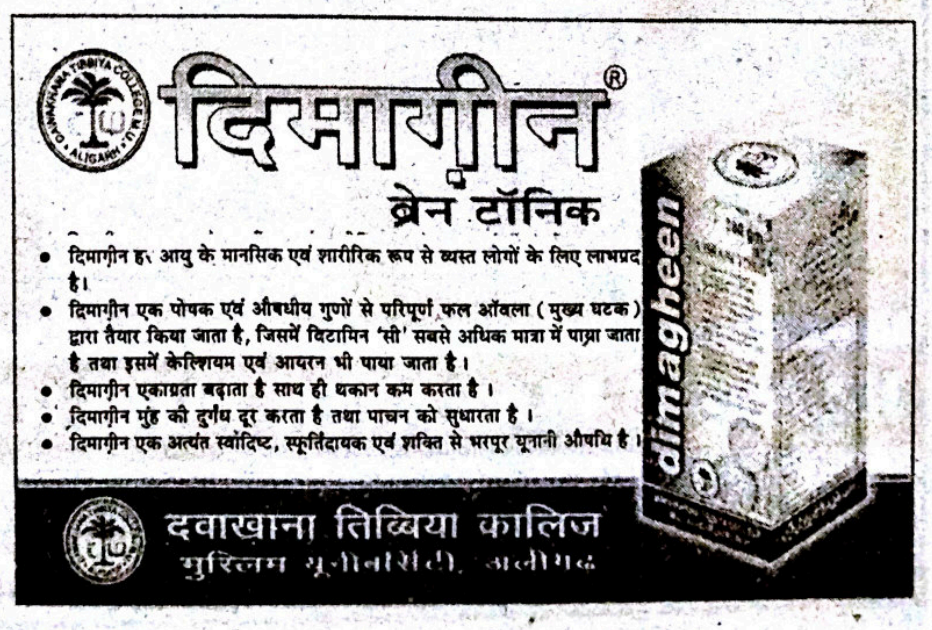

# 8 करोड़ मराठी भाषा जानने वालों तक इस्लाम का पैग़ाम पहुंचाने के लिए क़ुरआन का अनुवाद, अहादीस, पैग़म्बर चरित्र ( सीरते-नबी ) और ग़ैर-मुस्लिम भाइयों की ग़लतफ़हमी दूर करने के लिए 200 इस्लामी मराठी पुस्तकें और 20 फोल्डर्स उपलब्ध हैं ।

पुस्तकों की सूची बिना मूल्य मंगवाएं ।




**ISLAMIC MARATHI PUBLICATIONS TRUST**

4, Hamid Bldg., 96, Hafiz A. B. Marg, Mominpura, Mumbai - 11
Tel.: 23018387, 23082820 Fax : 23052002 Cell.: 9224599910
Website : www.islamicmarathipublications.com

जैसी ही होगी ।

एम्सटर्डम के 55 वर्षीय डॉक्टर हैंक मार्टिन लेन ने 20 व्यक्तियों के मरने में मदद की है ताकि उन्हें जीवन को लंबा करके असहनीय कष्ट भोगने के बजाय मृत्यु के निकट किया जाए । इसके लिए उन्होंने 'सहानुभूतिपरक हत्या' के बजाय 'सहानुभूतिपरक मृत्यु' शब्द का प्रयोग किया । डच संसद के ज़्यादातर सदस्यों ने इसके समर्थन में वोट दिया और कहा कि अहम मुद्दा तो यह है कि दुनिया इस बारे में क्या फ़ैसला करती है ।

यह क़ानून डॉक्टर को इस बात की इजाज़त देता है कि वह ऐसे रोगी की ज़िन्दगी को समाप्त करने में उसकी मदद करे जो लाइलाज हो या असहनीय पीड़ा से ग्रस्त हो । रोगी आत्महत्या करने में मदद तलब करने के बजाय डॉक्टर से आत्महत्या के लिएं परामर्श करे और इस परामर्श में एक अन्य डॉक्टर का परामर्श भी शामिल हो । अगर ऐसे रोगी की उम्र 12-16 वर्ष हो तो इसके लिए उसके मां-बाप की स्वीकृति अवश्य ली जाए ।

जनमत के निरीक्षण से पता चला है कि हॉलैंड के 92 प्रतिशत व्यक्तियों ने इस क़ानून के हक़ में अपनी राय दी । डॉ॰ पीटर हेल्डरिंग, जो सहानुभूतिपरक हत्या के विरोधी पक्ष के डॉक्टरों के संगठन के चेयरमैन हैं, इस बारे में कहते हैं कि आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले 'असहनीय पीड़ा' शब्द के क़ानूनी अर्थ निश्चित किये जाएं । चिकित्सा क्षेत्र में शब्द की व्याख्या में बहुत मतभेद हैं । हमारे निकट सबसे महत्वपूर्ण विषय 'मरीज़' नहीं बल्कि 'डॉक्टर' है जिससे यह कहा जाएगा कि वह यह निर्णय ले कि मरीज़ को ज़िन्दा रहना चाहिए अथवा मर जाना चाहिए । जबकि डॉक्टर लैन कहते हैं कि नीदरलैंड में मौत की तलब पिछले 10 सालों में बहुत कम हुई हैं क्योंकि एड्स जैसी भयावह बीमारी के इलाज में भी बेहतरी आयी है । उनकी राय में असहनीय पीड़ा का फ़ैसला सिर्फ़ मरीज़ ही कर सकता है, डॉक्टर नहीं ।

आस्ट्रेलिया विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने सहानुभूतिपरक मृत्यु या हत्या को जुलाई 1996 में क़ानून बनाकर वैध क़रार दिया । वह व्यक्ति, जो किसी प्राणघातक रोग से ग्रसित हो परन्तु उसका मानसिक संतुलन बरक़रार हो, किसी डॉक्टर से अपनी ज़िन्दगी को समाप्त करने के लिए मदद ले सकता है । 'राइट ऑफ़ टर्मिनली इल एक्ट' के अनुसार व्यावहारिक रूप से इस क़ानून के विरुद्ध मार्च 1997 में अपील भी की गयी ।

स्विट्ज़रलैंड में यह ग़ैर-क़ानूनी है लेकिन अगर वहां कोई व्यक्ति अथवा डॉक्टर किसी को मरने में मदद करता है तो वहां इसकी कोई सज़ा नहीं । वहां तो 'इन्सानी मौत की सोसायटी' के नाम से एक संगठन भी है, जो इस संबंध में क़ानूनी मदद उपलब्ध कराता है । हर वर्ष 100 से 120 की संख्या में लोग इस प्रकार की सहायता लेकर मृत्यु का आलिंगन करते हैं परन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में यह फ़ैसला किया कि किसी डॉक्टर का आत्महत्या करने में सहायता पहुंचाया जाना एक वैधानिक समस्या है । इसलिए राज्यों ने इस कार्य को क़ानून के विरुद्ध क़रार दिया ।

पश्चिम में इस तरह के मरीज़ों को ख़त्म करने का जो रुझान सामने आ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण संभवत: यही है कि परिवार बिखर चुके हैं और व्यक्ति एवं परिवार


**Jamaat-e-Islami Social Service Society (Regd), Gaya**

*The Society is in service in the field of education, health and Islamic understanding for the last 34 years. Our resources are limited, our task is tremendous. We seek your co-operation in the following activities:-*

1. **IQRA PUBLIC SCHOOL :** Besides 800 paying students, about 150 poor or orphan girls & boys are provided free education upto Matriculation with Islamic Carriculam.
2. **MILLAT HOSPITAL :** Every year about 15000 poor & needy patients are provided with free medical treatment & medicine besides other services.
3. **INTEREST-FREE SOCIETY :** Provides short-term loan without interest to needy people.
4. **ISLAMIC INFORMATION CENTRE :** Established at Bodh-Gaya, where lakhs of foreigners visit every year during Nov - March. The Centre provides reading materials on Islam, distributes Islamic literature and invites interested visitors for discussion besides inter-faith dialogue on regular basis.

**Kindly send your cheque/draft in favour of the society**

*(Q. Hoda)* Chairman — *(Prof. M. B. Zaman)* Secretary

**JISSS, Millat Campus, Leitch Road, Gaya-823001**

# क़ादिरी दवाख़ाना की कामयाब यूनानी दवाएं

DIAL
033-2469-3173
033-2489-3539




किसी भी प्रकार के दर्द, चोट, मोच, गठिया, जलने, कटने और बच्चों की मालिश में बहुत ही लाभदायक।



## जाफ़रानी तेल®

## गैस्टिक के दर्द में?

## क़ब्ज़ ट्रोजन

अनपच, भूख की कमी, जिगर का दर्द, क़ब्ज़, सीने की जलन और पेटी की सभी बीमारियों में बहुत ही लाभदायक।




**Qadri Dawakhana**
B-18, NAWAB WAJID ALI SHAH ROAD, KOLKATA - 24,

DISTRIBUTORS:
DARYA BADI DAWAKHANA 393, E. R. Road, Pydhonie, Mumbai - 400 003 Ph: 022-2341-1957,
RELAX ENTERPRISES 3416, Bahishti Wada, No.1, Dhule, - 424 001 Ph: 02562-236952

के मध्य स्नेह और ममता की जो भावना स्वाभाविक रूप से पायी जाती है, वह ठंडी पड़ चुकी है । कोई व्यक्ति किसी के दुख-दर्द में भागीदार नहीं बनना चाहता । वह इस बात को मुश्किल से ही सोच पाता है कि अगर ख़ानदान का एक व्यक्ति कष्ट में पड़ा है तो वह इसके लिए परेशान क्यों हो और उसके लिए अपने सुख-चैन को क्यों न्योछावर करे ?

कुछ रोग तो इतने कष्टदायक होते हैं और इतने लंबे समय तक उनका सिलसिला चलता रहता है कि इसमें रोगी के धैर्य की परीक्षा ही नहीं होती बल्कि उसके सगे-संबंधी और प्रियजनों की भी परीक्षा शुरू हो जाती है । वह धीरे-धीरे उससे तंग आने लगते हैं । ऐसे भी उदाहरण हैं कि इन्हीं रिश्तेदारों ने उसे किसी न किसी उपाय से मौत की नींद सुला दिया ।

रोगी के साथ स्नेह और उसकी सेवा निकट के संबंधियों पर विशेष स्थिति में फ़र्ज़ है और उसकी सेवा करना क़ानूनी अधिकार है । यहां इस पहलू की अनदेखी कैसे की जा सकती है कि मानव स्वार्थ का पुतला है । समस्या पर विचार करते समय स्वार्थ उस पर हावी हो जाता है, इसलिए इसमें कोई शंका नहीं कि वह मरीज़ की ख़िदमत से छुटकारा पाने और उसकी धन-संपत्ति पर शीघ्रातिशीघ्र क़ब्ज़ा करने के लिए उसे समाप्त कर देना चाहता है और तब उस पर मरीज़ की सेहत और ज़िन्दगी से अधिक रोगी को दुनिया से विदा करने की चिंता सवार रहती है ।

इस स्थिति में लाइलाज रोगी के रिश्तेदारों को उसके जीवन और मृत्यु का फ़ैसला करने का अधिकार देने से बड़ी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं । इससे बहुत से क़ाबिले इलाज रोगी को भी लाइलाज साबित कराया जा सकता है और रोग के असहनीय होने से

# इच्छामृत्यु की इजाज़त

सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2011 को क़ानून में नयी व्यवस्था देते हुए 'ब्रेन डेड' मरीज़ का जीवन रक्षक उपकरण व इलाज हटा कर परोक्ष (पैसिव) इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दी है । दूरगामी प्रभाव वाले फ़ैसले में कोर्ट ने परोक्ष इच्छा मृत्यु के लिए दिशा-निर्देश तय करते हुए कहा है कि जब तक संसद इस बाबत क़ानून नहीं बनाती यह फ़ैसला लागू रहेगा । हालांकि कोर्ट ने 38 साल से बिस्तर पर पड़ी मुंबई की नर्स अरुणा रामचंद्र शानबाग को दया मृत्यु दिये जाने की मांग ख़ारिज कर दी ।

सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद भारत उन देशों में शामिल हो गया है जहां किसी न किसी रूप में इच्छा मृत्यु की इजाज़त है । हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर (एक्टिव) पर विषाक्त इंजेक्शन आदि लगा कर इच्छा मृत्यु दिये जाने की अनुमति नहीं दी है । परोक्ष इच्छा मृत्यु के लिए भी हाईकोर्ट से मंज़ूरी लेनी अनिवार्य होगी । नयी क़ानूनी व्यवस्था देने वाला यह अहम फ़ैसला न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू व न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा की पीठ ने सुनाया है । पीठ ने कहा कि वे वरिष्ठ अधिवक्ता अध्यार्जुना की दलील से सहमत हैं कि हमारे देश में विशेष परिस्थितियों में परोक्ष इच्छा मृत्यु की इजाज़त होनी चाहिए ।

पीठ ने इसका विरोध करने वाली अटार्नी जनरल जी०ई० वाहनवती की दलील ठुकरा दी । परोक्ष इच्छा मृत्यु की अनुमति के दिशा-निर्देश तय करते हुए पीठ ने कहा कि मरीज के माता, पिता, जीवन साथी अन्य रिश्तेदार और इन लोगों के न होने पर निकट मित्र या इलाज करने वाला डॉक्टर जीवन रक्षक उपकरण या इलाज हटाने का फ़ैसला कर सकता है । पीठ ने कहा कि अरुणा के बारे में ऐसा फ़ैसला करने का हक़ के०ई०एम० अस्पताल स्टाफ को है जो पिछले 38 सालों से उसकी देखभाल कर रहा है । स्टाफ चाहता है कि अरुणा को जीने दिया जाए ।

याचिकाकर्ता पिंकी विरानी को अरुणा के बारे में फ़ैसला करने का हक़ नहीं है । कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में के०ई०एम० अस्पताल स्टाफ अपना विचार बदलता है तो उस स्थिति में उसे अरुणा का जीवन रक्षक इलाज हटाने से पहले बंबई हाईकोर्ट से अनुमति लेनी होगी । पिंकी विरानी ने अरुणा को दया मृत्यु दिये जाने की याचिका दायर की थी । पीठ ने अन्य मामलों में भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही मरीज़ का जीवन रक्षक इलाज हटाने का फ़ैसला सगे-संबंधियों या निकट मित्र ने कर लिया हो लेकिन उसके लिए हाईकोर्ट से मंज़ूरी लेनी ज़रूरी होगी ।

पहले ही उसे दुनिया छोड़ने पर मजबूर किया जा सकता है । ऐसे मामले भी सामने आये हैं, जब डॉक्टरों ने किसी रोगी को लाइलाज घोषित कर दिया परन्तु बाद में वह रोगी स्वास्थ्य लाभ करने में कामयाब हो गया ।

जहां तक इस समस्या से डॉक्टरों का संबंध है तो डॉक्टर यह सुझाव दे सकते हैं कि रोगी का उपचार हो सकता है अथवा नहीं और उसके स्वस्थ होने की शिक्षा की जा सकती है या नहीं लेकिन डॉक्टरों को भी यह फ़ैसला करने का कोई अधिकार नहीं है कि रोगी को जीवित रखा जाए या उसकी जीवनलीला समाप्त कर दी जाए ।

यदि कोई व्यक्ति किसी प्रचंड बीमारी के कष्ट और पीड़ा से ग्रस्त हो तो क्या वह मानसिक रूप से इस योग्य हो सकता है कि अपने जीवन और मृत्यु के बारे में वह कोई गंभीर निर्णय कर सके और इसे कार्यरूप देने के लिए दूसरे को कहे ?

इसका जवाब हैमफरी जैसे लोगों के पाय यह है कि वह चाहे तो अपना यह फ़ैसला उस समय भी सुना सकता है, जब वह स्वस्थ हो और इसे कार्य रूप तभी दिया जाए, जब वह स्थिति पैदा हो । इससे बात ख़त्म नहीं होती बल्कि एक और सवाल यह पैदा होता है कि स्थिति का फ़ैसला कौन करेगा ? रोगी के रिश्तेदार अथवा डॉक्टर या अन्य कोई ? हत्या के लिए यह आवश्यक नहीं कि तलवार से किसी के दो टुकड़े कर दिये जाएं या उसे छुरा घोंप दिया जाए अथवा गोली मार दी जाए । विष देना या कोई भी ऐसा उपाय करना, जिससे इन्सान की जान निकल जाए, प्रयतित वध है ।

मानव के अन्दर जब तक सांस चल रही है, वह जीवित है और उसके साथ जीवित व्यक्ति की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए और उसके जीवन को समाप्त करने के लिए कोई भी क़दम उठाया जाना सही नहीं माना जा सकता ।

इसका एक और विचारणीय पहलू यह भी है कि अब तक चिकित्सा क्षेत्र का उद्देश्य मानव जीवन को किसी भी तरह बचाना और उसे आराम पहुंचाना रहा है, इसलिए मानव जीवन को समाप्त करने के लिए अगर इस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है तो इसका उपयोग इसके मूल उद्देश्य को ही बदलकर रख देगा और यह चिकित्सा जगत के लिए एक अशुभ समाचार ही होगा ।


## Educational Guidance and Career Counseling Centre (EG3C)
## Aligarh-202002, UP, India

**Basic Objectives:**

1. To provide *Free Guidance/Information Services,* related to courses (prerequisites, suitability etc.) admission processes (all Indian institutions and abroad) according to individual needs and CVs of the aspiring candidates/parents.
2. To provide *Free Guidance and Counseling Services about Career/Job options* at/after: pre-university (10+2)/ graduation/post graduation and higher levels.
3. To develop and update the information reservoir/pool.
4. To arrange admission/career specific correspondence courses/training programmes/refresher courses/workshops as per 'the need and feasibility' and with the guiding principle—'no profit no loss to the Center'

**Contact us:**

**EG3C, Idara-e-Tehqeeq-wa-Tasneef Complex, Nabi Nagar, Dhorra Mafi, Aligarh-202002, UP, India**

Email : eg3caligarh@gmail.com

Contact Number : +918410282024 (6:00 PM to 10:00 PM)

Video Call/Conference (through Skype ID): eg3caligarh

# दोहरी फांस

❑ डॉ॰ परमलाल गुप्त

दोपहर का वक़्त था । घर के सब काम निबटाकर कर जावित्री ने लच्छो से कहा–"बेटी, तू अन्दर से किवाड़ बन्द कर ले, मैं माधौलाल के घर मातम में जा रही हूं । आजकल ज़माना ठीक नहीं है । शाम तक तेरे बापू लौट आएंगे, मैं खुद ही दिन डूबने से पहले आ जाऊंगी ।

लच्छो जावित्री की सबसे छोटी लड़की थी । जिसकी उम्र सोलह पार कर गयी थी । उससे बड़ी चार लड़कियों की शादियां हो गयी थीं और वे अपनी-अपनी ससुराल में थीं । जावित्री लच्छो की शादी के लिए भी चिंतित थी, पर अभी कोई संयोग न बन पाया था । इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि उसकी खेती पहले से आधी रह गयी थी और पति राम स्वरूप को बुढ़ापे में मज़दूरी करनी पड़ रही थी । लड़का शहर में पढ़ता था । इस बुरी हालत में भी यह परिवार गांव में अपना सिर ऊंचा किये था । यह बात गांव के मुखिया राम रिख सिंह को अखरती थी । पिछली बार के चुनाव में राम स्वरूप ने उनकी बात नहीं मानी थी । इसलिए वे इस परिवार का मान-मर्दन करना चाहते थे । उन्होंने इस काम के लिए अपने कुछ आदमियों को तैनात कर दिया था ।

रामरिख सिंह और उनके साथियों की नीयत की भनक जावित्री को लग गयी थी । इसलिए वह भरसक सतर्क रहती थी । उसने लच्छो का घर से आना-जाना भी प्राय: बन्द कर दिया था ।

लच्छो में जवानी की उठान का तेवर था । वह अपनी मां को भीरु समझती थी । मां की इस बात से उझककर लच्छो ने कहा–"मां, तू जा । कोई फ़िक्र न कर ! तू इतना क्यों डरती है ? कोई रांड का गांव है क्या ?"

"हां-हां, ठीक है । फिर भी अपने होशियार रहने में क्या हर्ज है ?" कहकर जावित्री घर से बाहर निकली ।

जावित्री को मन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था । उसके घर के सामने की परछती में दो-तीन अनजान लफंगे भद्दे इशारे करके हंस रहे थे, उसका जी कचोट उठा । पर संयम रखते हुए वह क़दम बढ़ाकर चली गयी । उसे यह ढाढस था कि दिन में कोई ऐसी वैसी बात नहीं हो सकती और वह अंधेरा होने से पहले हर हालत में लौट आएगी ।

मज़दूरी से फुर्सत पाकर सत्तर साल का बूढ़ा रामस्वरूप पहले शराबख़ाने गया । वहां उसने थोड़ी-सी शराब पी । उसका देह टूट रहा था । शराब के दो-चार घूंट पीने पर उसे थो[illegible] फ़र्ती महसूस हुई । कुछ-कुछ सरूर आने पर वह चिं[illegible] भी हो गया । तब तक झुटपुटा होने लगा था । वह एक निश्चित लय पर अपने क़दम बढ़ाता हुआ घर पहुंचा । घर में अंधेरा था । उसने जावित्री और लच्छो को कई आवाज़ें दी । पर किसी का कोई जवाब नहीं मिला ।

उसने पड़ोस में कई लोगों से पूछा, पर किसी ने कुछ नहीं बताया । तब वह लौटकर घर के अन्दर गया । जेब से माचिस निकालकर कुप्पी जलायी । रोशनी में उसने जो दृश्य देखा, उससे उसका सरूर ग़ायब हो गया और बदन में ऊपर से नीचे तक कंपकंपी की लहर दौड़ गयी ।

लच्छो ज़मीन पर मृत पड़ी थी । उसके कपड़े तार-तार होकर फट गये थे । शरीर एकदम निर्वस्त्र और जगह-जगह से नुचा हुआ था । गला कटकर एक ओर लटक गया था । उसके शरीर और ज़मीन पर ख़ून ही ख़ून था ।

रामस्वरूप अपनी लाड़ली बेटी की यह हालत देखकर बिलख उठा । उसने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया । कुछ क्षण बाद उसके आंसू सूख गये और मन में आक्रोश घुमड़ने लगा । वह लच्छो की लाश को छोड़कर बाहर निकला और गली में आकर अनाप-शनाप बकने लगा ।

इधर रामरिख सिंह के नाती के अन्यप्राशन का उत्सव था । लोग वहां एकत्र थे । सबको हलुआ, पूड़ी, मिठाई और पकवान खिलाये जा रहे थे । रामरिख सिंह खुद सबकी देखभाल कर रहे थे । लोग स्वाद ले-लेकर रामरिख सिंह की तारीफ़ कर रहे थे ।

# HUDA BUILDERS & DEVELOPERS

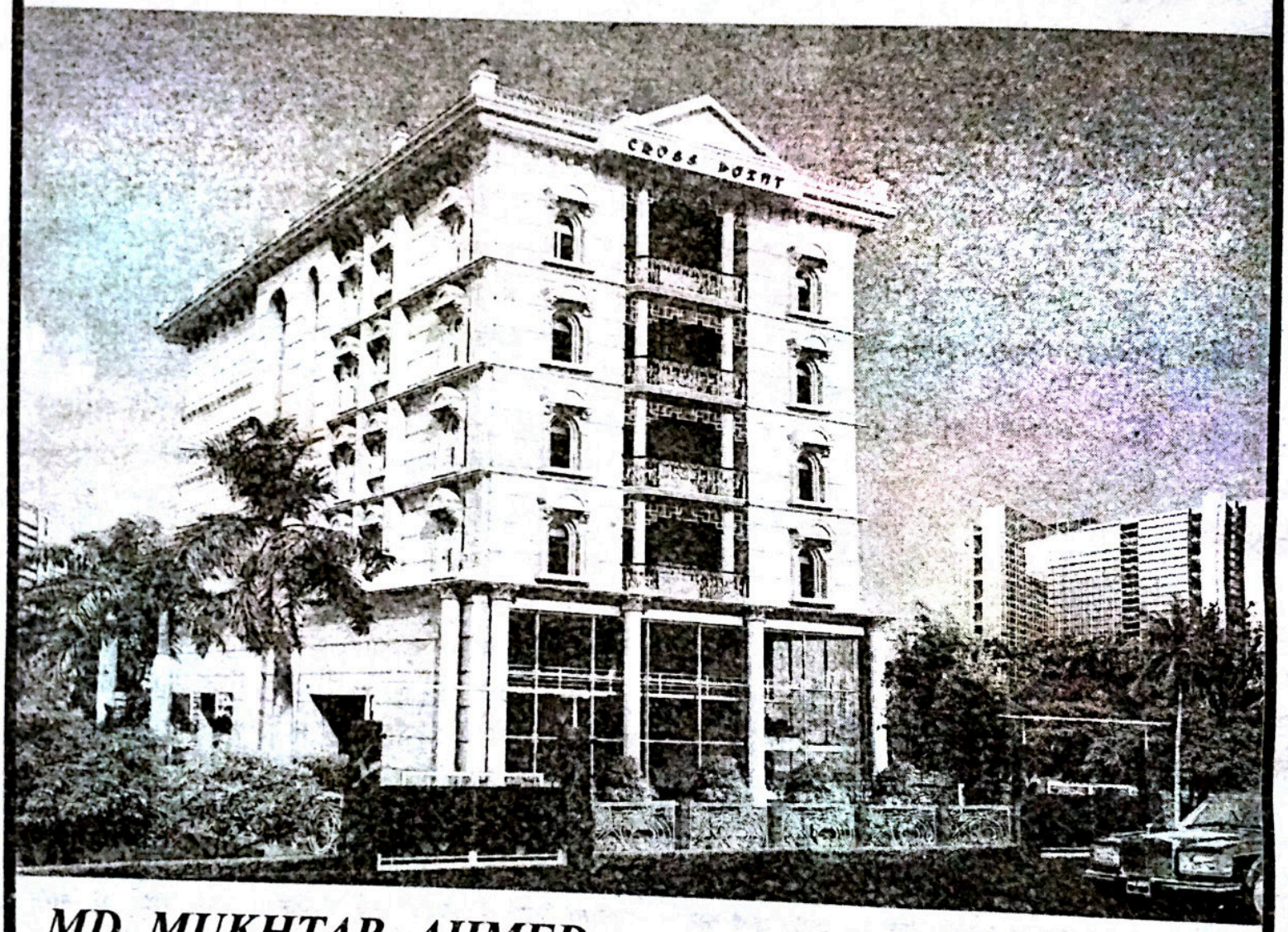


*MD. MUKHTAR AHMED*

**MOBILE NO. : 9820127170**

**385, Sane Guruji Marg, Next to I.T.I College (Ghass Gali),**
**Mumbai-400011**
**Tel. No. : 23482660/23482688/23482762**
**Fax : 23484245**

महेश और हरी कुछ हड़बड़ाये से वहां पहुंचे और रामरिख सिंह को इशारे से एकांत में ले जाकर बोले–''सरकार, मैंने अपना काम कर दिया । वह बुढ्ढ़ा रामस्वरूप बहुत हायतौबा मचा रहा है । लोग-बाग इकट्ठे हो रहे हैं । शायद पुलिस भी जल्दी पहुंचे ।''

रामरिख सिंह की आंखें खुशी से चमक उठीं । उन्होंने मूंछों पर ताव देते हुए कहा–''तुम लोग घबराओ मत । कहीं कुछ नहीं होगा । लोग यहां माल उड़ा रहे हैं, वहां कौन होगा ? हां यह बताओ तुम लोगों ने क्या किया है ? फिर मैं सब इन्तिज़ाम किये देता हूं ।''

महेश ने कहा–''सरकार, जैसे ही वह बुढ़िया गयी, लच्छो के किवाड़ बन्द करने के पहले ही हम भीतर घुस गये । हरि ने अपने गमछे से आनन-फानन में उसका मुंह बांध दिया । उसने ख़ूब उठा-पटक की पर मैंने उसको ज़मीन पर पटक दिया । कपड़े फाड़कर फेंक दिये और इज़्ज़त उतार ली । बाद में उसके बयान से ख़तरा था, सो छुरे से उसका गला काट दिया । न रहे बांस और न बजे बांसुरी । मरने से पहले हरि ने भी इच्छा पूरी कर ली । मनोहर को हमने बाहर देखभाल के लिए छोड़ दिया था । इस तरह बिना किसी रुकावट के हमने अपना काम कर लिया और आराम से चले गये ।''

''किसी को कुछ पता तो नहीं चला ?'' रामरिख सिंह ने पूछा ।

''नहीं । कोई चश्मदीद गवाह नहीं है ।'' महेश ने उत्तर दिया ।

''अच्छा तुम लोग खाओ-पियो और मौज करो । मैं वहां जाकर देखता हूं ।'' कहकर रामरिख सिंह वारदात की जगह की तरफ़ चले । कुछ लोग उनके साथ हो गये ।

धीरे-धीरे पूरे गांव में यह ख़बर फैल गयी । सुगर-बुगर होने लगी, पर प्रत्यक्ष कोई कुछ न बोला ।

रामरिख सिंह ने वहां जाकर जो नज़ारा देखा, उससे उनकी बांछें खिल उठीं । उन्होंने तुरंत थाने में ख़बर देने के लिए अपना आदमी दौड़ाया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा–''भाई आप लोग शांत रहें और पुलिस के आने तक यहां से कोई न जाए ।''

थोड़ी देर में दरोग़ा दो कांस्टेबलों के साथ आ पहुंचे । उन्होंने रामरिख सिंह की ओर तिरछी नज़र से देखकर पूछा–''क्या मामला है मुखिया जी ।''

रामरिख सिंह ने उत्तर दिया–मामला तो साफ़-साफ़ आपके सामने है दरोग़ा जी । यह रामस्वरूप बूढ़ा होने पर भी बड़ा कमीना और ढोंगी है । यह शराब पीकर अपने घर आया । इसे पता था कि इसकी औरत माधौलाल के यहां मातम में गयी है । अंधेरे में इसने अपनी ही लड़की के साथ मुंह काला किया और गला काटकर उसकी हत्या कर दी ।''

रामस्वरूप रामरिख सिंह की बात सुनकर सन्न रह गया । वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई उस पर इतना बड़ा कलंक लगा सकता है ।

दरोग़ा का इशारा पाकर कांस्टेबलों ने रामस्वरूप को


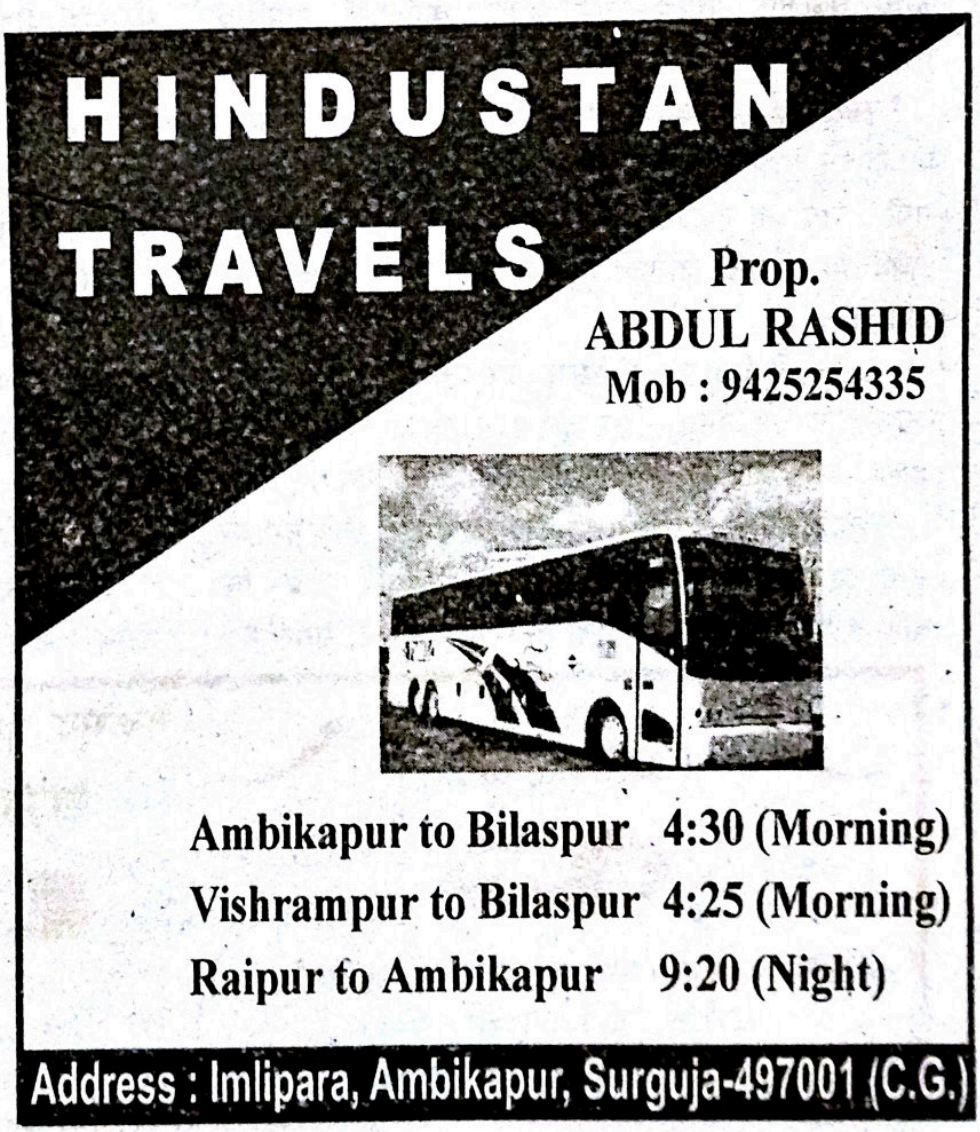

गिरफ़्तार कर लिया । दरोग़ा ने रामस्वरूप की ओर हिक़ारत से देखते हुए पूछा–"क्यों बे उसे मार क्यों डाला ?"

रामरिख सिंह तड़ाक से बोला–'दरोग़ा जी इसने अपनी लड़की को मारकर अपने एक साथ दो काम सिद्ध किये । राज़ खुलने का सबूत तो मिट ही गया, उसकी शादी करने की ज़िम्मेदारी से भी छुट्टी पा ली और देखो, पुलिस से तहक़ीक़ात कराने के लिए खुद पाक-साफ़ बना खड़ा है । ताकि कोई शक न कर सके । लेकिन इसे ध्यान नहीं है कि कपड़ों में उसकी बेटी का ख़ून लगा है ।"

दरोग़ा जानता था कि लच्छो के साथ बलात्कार और क़त्ल चाहे जिसने किया हो, परन्तु घर के अन्दर की वारदात का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है । क्योंकि बार-बार पूछने पर भी किसी ने कुछ नहीं बताया । इसके अलावा रामरिख सिंह कोई मामूली आदमी नहीं है । मंत्री की तो बात क्या मुख्यमंत्री तक उसकी बात मानते हैं इसलिए रामस्वरूप का शराब के नशे में होना और उसके कपड़ों पर ख़ून लगा होना उसके ख़िलाफ़ मामला बनाने के लिए काफ़ी है । रामरिख सिंह की बात भी दरकिनार नहीं की जा सकती ।

सब सोच-समझकर दरोग़ा लच्छो की लाश और रामस्वरूप को अपने साथ ले गये, जावित्री को लौटने में कुछ देर हो गयी । जब वह लौटकर आयी, तब तक यह सारा खेल हो चुका था । सारी वारदात जानकर वह फूट-फूटकर रोने लगी ।

कुछ औरतें आपस में खुसर-फुसर करने लगीं । एक ने कहा–"यह तो बहन दोहरा जुर्म है । एक तो बेटी को मार डाला, दूसरे बेटी के बाप को ही पकड़ ले गये ।"

दूसरी बोली–"रामस्वरूप तो बेचारा गऊ है । उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है । यह भी नहीं सोचा कि बाप-बेटी का क्या रिश्ता होता है ? भला सोचो, रामस्वरूप सत्तर साल का बूढ़ा, जिसके सत्ताइस पोते-पोतियां और नाती-नतिनें हों, भला वह अपनी लड़की के साथ ऐसा कर सकता है ?"

"अरे चुप कर ! कोई सुन लेगा, तो फालतू का बखेड़ा होगा ।' एक औरत ने टोका । जावित्री रोते हुए थाने की ओर चली ।

पुलिस ने दूसरे दिन पोस्टमार्टम के बाद लच्छो की लाश जावित्री को सौंप दी । उसने रामस्वरूप को नहीं छोड़ा और उसे रिमांड पर रखकर इस बात पर दबाव डाला कि वह जुल्म इक़बाल कर ले ।

जावित्री ने इस अन्याय के ख़िलाफ़ कई जगह गुहार लगायी । इससे सोसलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ़ इंडिया के महिला सांस्कृतिक मंच और कृषि खेत मज़दूर संगठन के नेताओं ने पुलिस विभाग में दबाव डाला । एस०पी० ने सी०आई० को जांच के काम पर लगा दिया । जैसे ही इस मामले का सुराग़ मिलना शुरू हुआ कि एस०पी० और सी०आई० दोनों का ट्रांसफ़र हो गया ।

रामरिख सिंह ने सीधे गृहमंत्री को फ़ोन किया–"यह तमाशा है ? आपके एस०पी०सी०आई० लोगों के बहकावे में आकर ऊटपटांग काम कर रहे हैं और मेरे आदमियों को परेशान कर रहे हैं ।"

गृहमंत्री ने रामरिख सिंह को आश्वस्त किया–"आप चिंता न करें मैं अभी सब ठीक कर देता हूं ।"

इसके बाद आई०जी० ने उन पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफ़र कर दिया, जो लच्छो के मामले की तह में जाने की कोशिश कर रहे थे और जिनके ख़िलाफ़ रामरिख सिंह ने शिकायत की थी ।

रामस्वरूप अब भी पुलिस रिमांड में है और पुलिस उससे जुर्म इक़बाल कराने की जुगत में लगी हुई है ।


मारूफ़
शू पैलेस
जी०ई० रोड, बस स्टैंड, बी०एम०वाई०
चरौदा, दुर्ग ( छत्तीसगढ़ )
फ़ोन : 0788-6534786

मक़सूद भाई मोबाइल : 9406090786
एस०के० इंटरप्राइजेज
होल सेल शू मर्चेन्ट
अलंकार कम्पलेक्स के निकट
कैम्प-2, भिलाई, ( छत्तीसगढ़ )
फ़ोन : 0788 6535786

# यथार्थ की संवेदनशील अभिव्यक्तियां

❖ डॉ॰ इसाक़ अश्क़
(तराना, उज्जैन)

पुस्तक : सूरज से सीखें जग रोशन करना (काव्य संग्रह)
कवि : जगन्नाथ विश्व
प्रकाशक : गरिमा प्रकाशन
मनोबल : 25 एम॰आई॰जी॰ हनुमाननगर, नागदा (म॰प्र॰)
मूल्य : 150, पृ॰ : 180

आज गीत को गद्य-कविता के रचनाकारों और उनके पैरोकार–आलोचकों द्वारा साहित्य चर्चा से निकाल दिया है । फिर भी समकालीन गीत अपनी लोकधर्मिता तथा यथोन्मुख सामाजिक दृष्टि, राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्रश्नों के प्रति बेचैनी, गिरते, बदलते मानव मूल्यों के प्रति गहरी चिंता, रिश्तों की टूटन, सामाजिक क्षेत्र में व्याप्त मूल्यहीनता का प्रति गहरा क्षोभ सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है, जैसे कवि का जीवन श्रम स्वेद बहाने वालों का जीवन रहा है ।

ऐसी सारी कविताएं बेहद सहज सरल, लयात्मक अनुभूतिजन्य है । जो शब्द के रूप में काग़ज़ पर काव्य की नयी से नयी परिभाषा रचती है जिनके ज़रिये कवि ने अपनी उद्दाम भावनाओं के रंगा-रंग इन्द्रधनुष रच डाले हैं, जो देखते ही बनते हैं–गुलाले-गैल अंगड़ाई चन्दन सी धूल/आकाश में अकुराये तारे ज्यों फूल । कवि खुद को ही नहीं, समूचे विश्व को सूर्य किरणों से आलोकित कर देना चाहता है । समकालीन समाज में कभी धर्म, कभी राजनीति, कभी अर्थ केन्द्र में रहा है, जीवन इन्हीं तत्वों से संचालित होता आया है । आज हमारे समय में राजनीति केन्द्र में है और जनजीवन इसके इर्द-गिर्द...राजनीति की अंधी सुरंग से होकर जाता रास्ता इतना विस्तृत हो गया है कि जीवन के हर क्षेत्र-परिक्षेत्र का इसमें समाहित हो गया है ।

राजनीति की तमाम विसंगतियां, विद्रूपताओं और विडंबनाओं की गहरी समझ आज की ज़रूरत बन गयी है, विश्व के काव्य में यह ज़रूरत खूब उभर कर सम्मुख आयी है, देखें–करके फौलादी पंजों में मृत्यु को बंद, लिखा शत्रु के सीने पर पौरुष का छंद ।

कुल मिलाकर संग्रह में जीवन जगत के विभिन्न पक्षों से जुड़े यथार्थ की संवेदनशील अभिव्यक्तियां सम्मिलित हैं । कवि विश्व ने आंतरिक संवेगों की बाह्य अभिव्यंजना हेतु बारिश, बिजली, बसंत आदि का बहुत कुशलता से उपयोग किया है जो–लेखकीय सतर्कता को चिन्हित करता है । संकलन स्वागत योग्य है ।

**SHATABDI FOUNDATION, GAYA**

- Started Shatabdi Public School in 2001 with primary classes, has now developed into a 10+2 CBSE affiliated educational institution with quality education in modern subjects with moral orientation.
- Presently there are around 1000 students who are provided modern teaching facilities. The Foundation also adopts poor/ orphan students
- Under Upwardbound .scheme, another project has been launched for preparation of +2 students to compete in Entrance Test for Engineering, Medical and other professional & technical courses.
- Our immediate needs are — Purchase one more school bus, Construction of Prayer Hall & Purchase of 30 Computers.

Ahle Khair Hazrat are Requested to Donate.

*Kindly send your cheque/draft in favour of "Shatabdi Foundation, Gaya".*

*(Prof Z.H.Khan)* Chairman — *(Prof M. B. Zaman)* Secretary

Shatabdi Public School, Katari Hill Road, Gaya-823001 (Bihar) INDIA

# घावों को भरेंगे गेंदे के फूल

रॉयल लंदन होम्योपैथिक अस्पताल में मेरीगोल्ड क्लीनिक के डॉक्टरों ने मेरीगोल्ड (गेंदे के फूल) के पेस्ट से घावों का उपचार करने का नया तरीक़ा खोज निकाला है। डॉक्टरों का कहना है कि गेंदे के छोटे पीले फूलों के सामान्य पेस्ट से पैर की सामान्य कटने, छिलने तथा फटने की समस्या, छाले तथा दूसरे फंगस संक्रमणों में आराम मिलता है। मेरीगोल्ड क्लीनिक के संस्थापक डॉ॰ तौफ़ीक़ ख़ान, जो एक होम्योपैथिक व चिरोपोडिस्ट हैं, बहुत से पौधों के साथ अपने प्रयोग कर चुके हैं। डॉ॰ ख़ान ने अपने 20 वर्षों के अथक प्रयासों से गेंदे की क़रीब 57 प्रजातियों की पहचान कर ली है। उन्होंने कुछ केलेनडुला आफिसिनेलिस की प्रजातियों की भी खोज की है, जो कोशिकाओं की गतिविधियों को बढ़ाती हैं। यही कारण है कि जब इनका पेस्ट चोट अथवा घावों पर लगाया जाता है तो घाव जल्दी भर जाता है।

डॉ॰ ख़ान का कहना है कि मेरीगोल्ड थैरेपी अत्यंत ग्राही व सरल है और इसके अभी तक कोई ख़राब परिणाम भी सामने नहीं आये हैं।

उनका कहना है कि चोट अथवा घाव के सामान्य पारंपरिक उपचारों में जहां पानी से बचने, ड्रेसिंग के झंझट और एसिड की जलन जैसी बातों का सामना करना पड़ता है, वहीं गेंदे से तत्काल उपचार होता है और व्यक्ति कहीं भी आने-जाने के लिए स्वतंत्र हो जाता है।

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से मुद्रित।
फोन: 011-26949430
**संपादक : डॉ॰ मुहम्मद अहमद**

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णत: प्रतिबंधित है।

*With best compliments from:*

**Ph: 0651-2330144, 2330604**
**Mo. 09334706965**

**Azad Pharma**
**formerly**
**Azad Pharmacy**

***Timing :***
***10:00 a.m. to 09:00 p.m.***

Sunday
Closed

B-7, Sainik Market, Main Road, Ranchi-834001 (Jharkhand)

# DUAAS FOR MORE

## Progress, Prosperity Peace & Integrity to

## 'KANTI' Monthly, Delhi

FROM



**Dr. Abdul Kareem Naik with King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud of Saudi Arabia (Custodian of the Two Holy Mosques)**

Dr. A Kareem Naik (Psychiatrist & Chairman of Rahmani Foundation)

Dr. Muhammad Naik (Dongri Clinic & Director of I.R.F.)

Dr. Zakir Naik (President Islamic Research Foundation & PEACE T.V.)

Posted on 20-21 March 2011
April 2011
E-mail: kantimonthly@hotmail.com
Publishing Date: 18.03.2011

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2009-2011
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2009-11

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ

ISO 9001-2008 CERTIFIED

ISO 9001-2008 CERTIFIED

**Dr. M. A. Patankar**
**M. B. B. S.**

# A to Z Diagnostic Centre

90, C.R.B. Mansion, 1st Floor, Near to our Lady of Dolours Church,
Opp. Marine Lines Station (E), Mumbai-400002, Mob. : 9820067005
Tel. : 2208 8263/2200 6524/ Fax. : 2201 0485, Email : atozdc@hotmail.com

*Fazaluddin Patankar*
*(Fazal)*

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ

Tel. : 011-26262680
011-26262681
011-41646577
Fax : 011-41646153
Mob. : 9810333787

# AL-KHALEEJ DIAGNOSTIC CENTRE

M-2, 2nd Floor, South Extension Part-II, New Delhi-110049